राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ की 135वीं बैठक का कार्यवाही विवरण

राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ की 135वीं बैठक दिनांक 19/12/2022 को अपरान्ह 12:00 बजे श्री देबाशीष दास, अध्यक्ष, राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण, छत्तीसगढ़ की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में निम्न सदस्य उपस्थित थे:–

1. डॉ. दीपक सिन्हा, सदस्य, राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण,
2. श्री आर.पी. तिवारी, सदस्य सचिव, राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण।

बैठक के प्रारंभ में तकनीकी अधिकारी, सचिवालय, राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण द्वारा अध्यक्ष एवं सदस्यों का स्वागत किया गया। तदुपरांत एजेण्डावार चर्चाकर निम्नानुसार निर्णय लिया गया।

एजेण्डा आयटम क्रमांक–1 **राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण, छत्तीसगढ़ की 134वीं बैठक दिनांक 05/12/2022 के कार्यवाही विवरण का अनुमोदन।**

राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण, छत्तीसगढ़ की 134वी बैठक दिनांक 05/12/2022 को आयोजित की गई थी। प्राधिकरण द्वारा सर्वसम्मति से कार्यवाही विवरण का अनुमोदन किया गया।

एजेण्डा आयटम क्रमांक–2 **राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति, छत्तीसगढ़ की 430वीं एवं 431वीं बैठक क्रमशः दिनांक 27/10/2022 एवं 28/10/2022 की अनुशंसा के आधार पर गौण/मुख्य खनिजों एवं औद्योगिक परियोजनाओं संबंधी प्रकरणों में निर्णय लिया जाना।**

1. **मेसर्स महानिधि माईंस एण्ड मिनरल्स प्राईवेट लिमिटेड (डॉयरेक्टर– श्री गौरव सिंह ठाकुर एवं श्री शिवि दास), ग्राम–विचारपुर नवागांव, तहसील–डोंगरगांव, जिला–राजनांदगांव (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 2084)**

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए /सीजी /एमआईएन / 278897/2022, दिनांक 19/06/2022 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण – यह प्रस्तावित साधारण पत्थर (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम–विचारपुर नवागांव, तहसील–डोंगरगांव, जिला–राजनांदगांव स्थित पार्ट ऑफ खसरा क्रमांक 235/3, कुल क्षेत्रफल–1.214 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता– 10,397 टन (3,999 घनमीटर) प्रतिवर्ष है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 19/10/2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठक का विवरण –

(अ) समिति की 430वीं बैठक दिनांक 27/10/2022:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री गौरव सिंह ठाकुर एवं श्री शिवि दास, डॉयरेक्टर उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:–** इस खदान को पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।

2. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत विचारपुर नवागांव का दिनांक 15/06/2022 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

3. **उत्खनन योजना** – क्वारी प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो संयुक्त–संचालक (ख.प्र.), संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, नवा रायपुर अटल नगर के ज्ञापन क्र. 426/खनि 02/मा.प्ल.अनुमोदन/न.क्र.05/2019(4) नवा रायपुर, दिनांक 01/02/2022 द्वारा अनुमोदित है।

4. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनि शाखा), जिला–राजनांदगांव के ज्ञापन क्रमांक/230/ख.लि.02/2022 राजनांदगांव, दिनांक 08/02/2022 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य खदानों की संख्या निरंक है।

5. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाए** – कार्यालय कलेक्टर (खनि शाखा), जिला–राजनांदगांव के ज्ञापन क्रमांक/230/ख.लि. 02/2022 राजनांदगांव, दिनांक 08/02/2022 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मरघट, स्कूल, अस्पताल, पुल, बांध, एनीकट, राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्यमार्ग एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।

6. **भूमि एवं एल.ओ.आई. का विवरण** – भूमि श्री शिविदास के नाम पर है। एल.ओ.आई. मेसर्स महानिधि माईंस एण्ड मिनरल्स प्रा.लि. के नाम पर है जो कार्यालय कलेक्टर (खनि शाखा), जिला–राजनांदगांव के ज्ञापन क्रमांक 2182/ख.लि.02/2021 राजनांदगांव, दिनांक 17/12/2021 द्वारा जारी की गई, जिसकी वैधता जारी दिनांक से 1 वर्ष की अवधि तक है।

7. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** – वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

8. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – कार्यालय वनमंडल अधिकारी, राजनांदगांव वनमंडल, राजनांदगांव के ज्ञापन क्र./मा.चि./न.क्र. 10–1/2021/8977 राजनांदगांव, दिनांक 26/10/2021 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र के अनुसार आवेदित क्षेत्र वन क्षेत्र की सीमा से 3 कि.मी. की दूरी पर स्थित है।

9. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम–विचारपुर 800 मीटर एवं स्कूल ग्राम–विचारपुर 800 मीटर की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 1.5 कि.मी. दूर है। नहर 820 मीटर एवं तालाब 600 मीटर दूर है।

10. **पारिस्थितिकीय / जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

11. **खनन संपदा एवं खनन का विवरण** – जियोलॉजिकल रिजर्व 6,62,840 टन, माईनेबल रिजर्व 2,31,583 टन एवं रिकव्हरेबल रिजर्व 2,20,004 टन है। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 3,700 वर्गमीटर है। ओपन कास्ट सेमी मेकेनाईज्ड विधि से उत्खनन किया जाएगा। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 21 मीटर है। लीज क्षेत्र में ऊपरी मिट्टी की मोटाई 0.2 मीटर है तथा कुल मात्रा 1,531 घनमीटर है। इस मिट्टी को 7.5 मीटर (माईन बाउण्ड्री) क्षेत्र में फैलाकर वृक्षारोपण के लिए उपयोग किया जाएगा। बेंच की ऊंचाई 1.5 मीटर एवं चौडाई 1.5 मीटर है। खदान की संभावित आयु 23 वर्ष है। लीज क्षेत्र में क्रशर स्थापित किया जाना प्रस्तावित नहीं है। ड्रिलिंग एवं कंट्रोल ब्लास्टिंग किया जाएगा। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाएगा। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:–

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
प्रथम	10,397
द्वितीय	10,397
तृतीय	10,397
चतुर्थ	10,397
पंचम	10,397

12. **जल आपूर्ति** – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 5 घनमीटर प्रतिदिन होगी। जल की आपूर्ति ग्राम पंचायत द्वारा टैंकर के माध्यम से किया जाएगा। इस बाबत् ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत किया गया है।

13. **वृक्षारोपण कार्य** – लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में 925 नग वृक्षारोपण किया जाएगा। प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार पौधों के लिए राशि 27,750 रूपये, फेंसिंग के लिए राशि 40,000 रूपये, खाद के लिए राशि 2,500 रूपये, सिंचाई आदि के लिए राशि 42,750 रूपये, इस प्रकार कुल राशि 1,13,000 रूपये प्रथम वर्ष हेतु एवं रख–रखाव हेतु कुल राशि 1,80,250 रूपये आगामी चार वर्षों हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है।

14. **खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन** – लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में उत्खनन कार्य नहीं किया गया है।

15. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:–

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)

15	2%	0.30	Following activities at Nearby Goverment Primary School, **Village-Vicharpur Nawagaon**	
			Potable Drinking Water Facility with 5 year AMC	0.35
			Total	**0.35**

16. सी.ई.आर. के तहत् प्रस्तावित स्कूल के प्राचार्य (Principal) का सहमति पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

17. सी.ई.आर. एवं वृक्षारोपण कार्य के मॉनिटरिंग एवं पर्यवेक्षण हेतु त्रि–सदस्यीय समिति (प्रोपराईटर/प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत के पदाधिकारी/प्रतिनिधि एवं जिला प्रशासन या छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के पदाधिकारी/प्रतिनिधि) गठित किया जाना आवश्यक है। साथ ही सी.ई.आर. एवं वृक्षारोपण का कार्य पूर्ण किये जाने के उपरांत गठित त्रि–सदस्यीय समिति से सत्यापित कराया जाना आवश्यक है।

18. माननीय एन.जी.टी., प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली द्वारा सत्येंद्र पाण्डेय विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ओरिजनल एप्लिकेशन नं. 186 ऑफ 2016 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में मुख्य रुप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है:–

    a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.

    b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–

1. कार्यालय कलेक्टर (खनि शाखा), जिला–राजनांदगांव के ज्ञापन क्रमांक/230/ख.लि.02/2022 राजनांदगांव, दिनांक 08/02/2022 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य खदानों की संख्या निरंक है। आवेदित खदान (ग्राम–विचारपुर नवागांव) का क्षेत्रफल 1.214 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर या उससे कम होने के कारण यह खदान बी–2 श्रेणी की मानी गयी।

2. सी.ई.आर. के तहत् प्रस्तावित स्कूल के प्राचार्य (Principal) का सहमति पत्र एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ में प्रस्तुत किया जाए।

3. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से आवेदक – मेसर्स महानिधि माईंस एण्ड मिनरल्स प्राईवेट लिमिटेड (डॉयरेक्टर– श्री गौरव सिंह ठाकुर एवं श्री शिवि दास) को ग्राम–विचारपुर नवागांव, तहसील–डोंगरगांव, जिला–राजनांदगांव के पार्ट ऑफ खसरा क्रमांक 235/3 में स्थित साधारण पत्थर (गौण खनिज) खदान, कुल क्षेत्रफल–1.214 हेक्टेयर, क्षमता–10,397 टन (3,999 घनमीटर) प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति दिए जाने की अनुशंसा की गई।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 19/12/2022 को संपन्न 135वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। **प्राधिकरण द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया:–**

1. समिति की अनुशंसा को स्वीकार करते हुये आवेदक – मेसर्स महानिधि माईंस एण्ड मिनरल्स प्राईवेट लिमिटेड (डॉयरेक्टर– श्री गौरव सिंह ठाकुर एवं श्री शिवि दास) को निम्न अतिरिक्त शर्त के अधीन पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने का निर्णय लिया गया:–

   "लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी तथा सी.ई.आर. के तहत् किये जाने वाले वृक्षारोपण की जानकारी जियोटेग (Geotag) फोटोग्राफ्स सहित अर्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित करते हुये प्रस्तुत किया जाए।"

   साथ ही समिति द्वारा निहित किये गये शर्तों का पालन सुनिश्चित किया जाए। पालन नहीं किये जाने की स्थिति में विधिवत् वैधानिक कार्यवाही की जाएगी।

2. एल.ओ.आई. की वैधता वृद्धि संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत किये जाने के उपरांत ही परियोजना प्रस्तावक को सशर्त पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र जारी किया जाए।

3. सी.ई.आर. के तहत् प्रस्तावित स्कूल के प्राचार्य (Principal) का सहमति पत्र प्रस्तुत किये जाने के उपरांत ही परियोजना प्रस्तावक को सशर्त पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र जारी किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

2. **मेसर्स धनसूली लाईम स्टोन माईन (प्रो.–श्री अनिल जंघेल), ग्राम–धनसूली, तहसील–आंरग, जिला–रायपुर (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 2085)**

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 78628/2022, दिनांक 20/06/2022 द्वारा टी.ओ.आर. हेतु आवेदन किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण – यह पूर्व से संचालित चूना पत्थर (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम–धनसूली, तहसील–आंरग, जिला–रायपुर स्थित खसरा क्रमांक 818, 870 एवं 871 (नया 913, 926 एवं 927), कुल क्षेत्रफल–1.19 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता–23,890 टन (9,556 घनमीटर) प्रतिवर्ष है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 19/10/2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठक का विवरण –

(अ) समिति की 430वीं बैठक दिनांक 27/10/2022:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री अनिल जंघेल, प्रोपराईटर उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:–**

   i. पूर्व में चूना पत्थर खदान खसरा क्रमांक 818, 870 एवं 871 (नया 913, 926 एवं 927), कुल क्षेत्रफल–2.94 एकड़, क्षमता–23,920 टन प्रतिवर्ष हेतु जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, जिला–रायपुर द्वारा

पर्यावरणीय स्वीकृति दिनांक 15/11/2017 को जारी की गई। यह स्वीकृति जारी दिनांक से 5 वर्ष तक वैध है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 18/01/2021 अनुसारः–

"9A. Notwithstanding anything contained in this notification, the period from the 1st April, 2020 to the 31st March, 2021 shall not be considered for the purpose of calculation of the period of validity of Prior Environmental Clearances granted under the provisions of this notification in view of outbreak of Corona Virus(COVID-19) and subsequent lockdowns (total or partial) declared for its control, however, all activities undertaken during this period in respect of the Environmental Clearance granted shall be treated as valid.".

उपरोक्त अधिसूचना के अनुसार पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता जारी दिनांक से दिनांक 14/11/2023 तक वैध होगी।

ii. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तो के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत की गई है। समिति का मत है कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, रायपुर से पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

iii. निर्धारित शर्तानुसार वृक्षारोपण नहीं किया गया है।

iv. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–रायपुर के ज्ञापन क्रमांक/क./ख.लि./तीन–6/2022/क्यू 720 रायपुर, दिनांक 17/06/2022 द्वारा विगत वर्षो में किये गये उत्खनन की जानकारी निम्नानुसार हैः–

वर्ष	उत्पादन (टन)
2017–18	निरंक
2018–19	18,739
2019–20	23,400
2020–21	11,100
2021–22	6,900

समिति का मत है कि मार्च 2022 के उपरांत किए गए उत्खनन की वास्तविक मात्रा की जानकारी अद्यतन स्थिति में खनिज विभाग से प्रमाणित कराकर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

2. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत धनसूली का दिनांक 23/08/1993 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है। साथ ही ग्राम पंचायत धनसूली का दिनांक 30/01/2017 का गौण खनिज हेतु मद परिवर्तन का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

3. **उत्खनन योजना** – मॉडिफाईड क्वारी प्लान, इन्व्हायरोमेंट मेनेजमेंट प्लान एण्ड क्वारी क्लोजर प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो संयुक्त–संचालक (ख.प्र.), संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, नवा रायपुर अटल नगर, जिला–रायपुर के पृ. क्र.3004/खनि 02/मा.प्ल.अनुमोदन/न.क्र.04/2019(2) नया रायपुर, दिनांक 08/06/2022 द्वारा अनुमोदित है।

4. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–रायपुर के ज्ञापन क्रमांक 719/ख.लि./तीन–6/2022 रायपुर, दिनांक 17/06/2022 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 91 खदानें, क्षेत्रफल 183.04 हेक्टेयर है।

5. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाए** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–रायपुर के ज्ञापन क्रमांक 719/ख.लि./तीन–6/2022 रायपुर, दिनांक 17/06/2022 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मस्जिद, मरघट, अस्पताल, स्कूल, पुल, एनीकट, बांध एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र स्थित नहीं है।

6. **भूमि एवं लीज का विवरण** – यह शासकीय भूमि है। पूर्व में लीज श्रीमती रूपेन्द्र तिवारी के नाम पर थी। लीज डीड 10 वर्षो अर्थात् दिनांक 02/11/1993 से 01/11/2003 तक की अवधि हेतु वैध थी। लीज डीड का प्रथम नवीनीकरण दिनांक 02/11/2003 से 01/11/2013 तक की अवधि हेतु किया गया था। लीज डीड का द्वितीय नवीनीकरण दिनांक 02/11/2013 से 01/11/2023 तक की अवधि हेतु वैध है। लीज का हस्तांतरण दिनांक 24/05/2018 को श्री अनिल जंघेल के नाम पर किया गया। तत्पश्चात लीज डीड 5 वर्षो अर्थात दिनांक 02/11/2023 से 01/11/2028 तक की अवधि हेतु विस्तारित की गई है।

7. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** – वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

8. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा वन विभाग द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र के संबंध में अनुरोध किया गया कि लीज क्षेत्र से लगी हुई अन्य खदान (खसरा क्रमांक 915 एवं 916/1) को वन विभाग द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र को ही आवेदित प्रकरण हेतु मान्य किये जाने हेतु अनुरोध किया है, जिसके अनुसार कार्यालय वनमण्डलाधिकारी रायपुर, वनमण्डल रायपुर के ज्ञापन क्रमांक/व.त.अ./रा/2159 रायपुर, दिनांक 20/07/2021 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है। उक्त हेतु समिति द्वारा सहमति व्यक्त की गई।

9. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम–धनसुली 760 मीटर, स्कूल ग्राम–धनसुली 950 मीटर एवं अस्पताल रायपुर 10.7 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 5.2 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 3.7 कि.मी. दूर है। मौसमी नाला 2.3 कि.मी., तालाब 800 मीटर एवं नहर 1.1 कि.मी. की दूरी पर स्थित है।

10. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

11. **खनन संपदा एवं खनन का विवरण** – जियोलॉजिकल रिजर्व 4,17,500 टन, माईनेबल रिजर्व 1,18,763 टन एवं रिकव्हरेबल रिजर्व 1,16,387 टन है। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 4,420 वर्गमीटर है। ओपन कास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि से उत्खनन किया जाता

है। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 21 मीटर है। ऊपरी मिट्टी की मोटाई 1 मीटर एवं मात्रा 4,349 घनमीटर है, जिसमें से 1,166.35 घनमीटर ऊपरी मिट्टी को 7.5 मीटर (माईन बाउण्ड्री) क्षेत्र में फैलाकर वृक्षारोपण के लिए उपयोग किया जायेगा तथा शेष ऊपरी मिट्टी को लीज क्षेत्र के बाहर संरक्षित किया जाएगा। बेंच की ऊंचाई 3 मीटर एवं चौड़ाई 3 मीटर है। खदान की संभावित आयु 5 वर्ष है। लीज क्षेत्र में क्रशर स्थापित नहीं है एवं इसकी स्थापना का प्रस्ताव नहीं किया गया है। जैक हैमर से ड्रिलिंग एवं कंट्रोल ब्लास्टिंग किया जाता है। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाता है। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:–

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
प्रथम	23,863
द्वितीय	23,890
तृतीय	23,823
चर्तुथ	23,800
पंचम	21,008

12. **जल आपूर्ति** – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 6 घनमीटर प्रतिदिन होती है। जल की आपूर्ति बोरवेल के माध्यम से किया जाएगा। इस बाबत् सेन्ट्रल ग्राउण्ड वॉटर अथॉरिटी की अनुमति प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

13. **वृक्षारोपण कार्य** – लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में 560 नग वृक्षारोपण किया जाएगा।

14. **खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन** – लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर सीमा पट्टी का क्षेत्रफल 4,420 वर्गमीटर है, जिसमें से 1,119 वर्गमीटर क्षेत्र 21 मीटर की गहराई तक उत्खनित है, जिसका उल्लेख मॉडिफाईड क्वारी प्लान में किया गया है। प्रतिबंधित 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन किया जाना पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों का घोर उल्लघंन है। अतः परियोजना प्रस्तावक के विरूद्ध नियमानुसार आवश्यक दण्डात्मक कार्यवाही किया जाना आवश्यक है।

15. उल्लेखनीय है कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा नॉन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु मानक पर्यावरणीय शर्तें जारी की गई है। शर्त क्रमांक VIII (i) के अनुसार:–

"The Project Proponent shall develop greenbelt in 7.5m wide safety zone all along the mine lease boundary as per the guidelines of CPCB in order to arrest pollution emanating from mining operations within the lease. The whole green belt shall be developed within first 5 years starting from windward side of the active mining area. The development of greenbelt shall be governed as per the EC granted by the Ministry irrespective of the stipulation made in approved mine plan."

उक्त मानक शर्त के अनुसार माईन लीज क्षेत्र के अंदर 7.5 मीटर चौड़े सेफ्टी जोन में वृक्षारोपण किया जाना आवश्यक है।

16. प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि पूर्व में आवेदक मेसर्स महामाया मिनरल्स (एसआईए / सीजी / एमआईएन / 69981 / 2021) में आने वाली समस्त खदानों को क्लस्टर में शामिल करते हुए बेसलाईन डाटा कलेक्शन का कार्य 15 दिसम्बर, 2021 से 15 मार्च, 2022 के मध्य किया गया

था। तत्समय बेसलाईन डाटा कलेक्शन की सूचना दी गई थी। कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–रायपुर द्वारा जारी प्रमाण पत्र में आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित खदानों में उक्त खदान का उल्लेख है। अतः आवेदित खदान उस क्लस्टर का भाग है, जिसके लिए ई.आई.ए. स्टडी पूर्व में की गई थी। परियोजना प्रस्तावक द्वारा उक्त एकत्रित बेसलाईन डाटा का उपयोग कर ई.आई.ए. रिपोर्ट तैयार किये जाने हेतु अनुरोध किया गया है। उक्त से जिससे समिति सहमत हुई।

17. माननीय एन.जी.टी., प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली द्वारा सत्येंद्र पाण्डेय विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ओरिजनल एप्लिकेशन नं. 186 ऑफ 2016 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में मुख्य रुप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है–

a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.

b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–

1. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–रायपुर के ज्ञापन क्रमांक 719/ख.लि./तीन–6/2022 रायपुर, दिनांक 17/06/2022 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 91 खदानें, क्षेत्रफल 183.04 हेक्टेयर है। आवेदित खदान (ग्राम–धनसूली) का रकबा 1.19 हेक्टेयर है। इस प्रकार आवेदित खदान (ग्राम–धनसूली) को मिलाकर कुल रकबा 184.23 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर से अधिक का क्लस्टर निर्मित होने के कारण यह खदान 'बी1' श्रेणी की मानी गयी।

2. माईन लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर चौड़े सेफ्टी जोन के कुछ भाग में किये गये उत्खनन के कारण इस क्षेत्र के उपचारी उपायों (Remedial Measures) के संबंध में तथा लीज क्षेत्र के अंदर माईनिंग क्रियाकलापों के कारण उत्पन्न प्रदूषण के नियंत्रण हेतु आवश्यक उपायों यथा वृक्षारोपण आदि के लिये समुचित उपायों बाबत् संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर, जिला – रायपुर (छत्तीसगढ़) को पत्र लेख किया जाए।

3. प्रतिबंधित 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में अवैध उत्खनन पाये जाने पर नियमानुसार आवश्यक दण्डात्मक कार्यवाही किये जाने हेतु संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म एवं पर्यावरण को क्षति पहुंचाने हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर अटल नगर को आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु लेख किया जाए।

4. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से मंगाये जाने हेतु पत्र लेख किया जाए।

5. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से प्रकरण 'बी1' केटेगरी का होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा

अप्रैल, 2015 में प्रकाशित स्टैण्डर्ड टर्म्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) फॉर ई.आई.ए. / ई.एम.पी. रिपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट्स / एक्टीविटीज रिक्वायरिंग इन्वायरमेंट क्लीयरेंस अण्डर ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 में वर्णित श्रेणी 1(ए) का स्टैण्डर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) नॉन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु निम्न अतिरिक्त टीओआर के साथ जारी किये जाने की अनुशंसा की गई:–

i. Project proponent shall submit the Individual Environment Management Plan and Common Environment Management Plan.

ii. Project proponent shall submit the top soil management plan & over burden plan & incorporate the details in the EIA report.

iii. Project proponent shall submit an affidavit for commitment to the public (Objections/suggestions raised by public) during Public Hearing.

iv. Project proponent shall submit compliance report of previous environment clearance from Integrated Regional Office, MoEF&CC Raipur.

v. Project proponent shall submit NOC for usage of water from competent authority.

vi. Project proponent shall ensure that mining lease area to be demarcated by erection of boundary pillars at all corner and area to be fenced.

vii. Project proponent shall submit a Cumulative Environment Impact Assessment Study (Air, Water, Noise, Soil, Traffic etc) of the Industries located in the nearby area and Ecology of the buffer zone of study area and shall incorporate the same in the EIA report.

viii. The project proponent shall submit an undertaking that there is no court case pending relating to this project before any Court of Law in India.

ix. The project proponent shall submit an undertaking in the form of an affidavit stating that there is no violation of Notification S.O. 804(E) dated 14/03/2017 issued by Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India and the direction given by Hon'ble Supreme Court of India in the matter of Common Cause vs Union of India order dated 02.08.2017.

x. EIA study shall be done at minimum 12 no. of stations for data collection considering the pre-dominant wind direction.

xi. Project proponent shall submit the copy of panchnama and photographs of every monitoring station.

xii. Project proponent shall submit layout map earmarking 7.5 meter of mine lease periphery & previously mined out area in safety zone, calculation of mined out area and remedial measures for development of greenbelt in 7.5 meter wide all along the mine lease boundary as per the guidelines of CPCB in order to arrest pollution emanating from mining operations within the lease. Project proponent shall incorporate the remedial measures for mining activity carried out in the past in safety zone.

xiii. Project proponent shall complete the restoration of 7.5 meter width of mine lease periphery & do plantation during the current year incorporating the plant cost, fertilizer cost, irrigation cost, maintainance cost for atleast 5 years and the details alongwith photographs in the EIA report.

xiv. Project proponent shall undertake plantation (as far as possible fruit bearing species) within the mining lease area as per guidelines issued

from time to time and particularly in the 7.5 meter safety zone area of minimum 05 feet height and shall maintain 90% survival rate. The plantation shall be maintained by project proponent for atleast 5 years. Project proponent shall report to Authority regarding yearwise plantation. The details to be submitted alongwith Geotag photographs in the EIA report.

xv. Project proponent shall undertake plantation during the monsoon & incorporate in the EIA report.

xvi. Project proponent shall submit CER proposals with details of works alongwith their estimates including land cost and incorporating the plant cost, fertilizer cost, irrigation cost and maintainance cost for atleast 5 years.

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 19/12/2022 को संपन्न 135वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। **प्राधिकरण द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया** कि समिति द्वारा अनुशंसित अतिरिक्त टीओआर के शर्त में निम्न संशोधन किया गया कि:–

- 5 (iv) "Project proponent shall submit compliance report of previous environment clearance from Integrated Regional Office, MoEF&CC Raipur." **के स्थान पर** 5 (iv) "Project proponent shall submit a certified compliance report of the status of compliance of the conditions stipulated in the EC for the ongoing / existing operation of the project by the Integrated Regional Office, MoEF&CC Raipur in accordance with the circular No. J-11011/618/2010-IAII(I) dated 30/05/2012." पढ़ा जाए।

- 5 (xiv) "Project proponent shall undertake plantation (as far as possible fruit bearing species) within the mining lease area as per guidelines issued from time to time and particularly in the 7.5 meter safety zone area of minimum 05 feet height and shall maintain 90% survival rate. The plantation shall be maintained by project proponent for atleast 5 years. Project proponent shall report to Authority regarding yearwise plantation. The details to be submitted alongwith Geotag photographs in the EIA report." **के स्थान पर** 5 (xiv) "Project proponent shall undertake plantation (as far as possible fruit bearing species) within the mining lease area as per guidelines issued from time to time and particularly in the 7.5 meter safety zone area of minimum 05 feet height and shall maintain 90% survival rate. The plantation shall be maintained by project proponent for atleast 5 years. Project proponent shall submit half yearly reports regarding compliance to the Authority. The details to be submitted alongwith Geotag photographs in the EIA report." पढ़ा जाए।

- 5 (xv) "Project proponent shall undertake plantation during the monsoon & incorporate in the EIA report." **के स्थान पर** 5 (xv) "Project proponent shall undertake plantation & incorporate in the EIA report." पढ़ा जाए।

- 5 (xvi) "Project proponent shall submit CER proposals with details of works alongwith their estimates including land cost and incorporating the plant cost, fertilizer cost, irrigation cost and maintainance cost for atleast 5 years." **के स्थान पर** 5 (xvi) "Project proponent shall submit CER proposals with details of works alongwith their estimates including land cost and incorporating the plant cost, fertilizer cost, irrigation cost and

maintenance cost for atleast 5 years & incorporate in the EIA report." पढ़ा जाए।

साथ ही यह भी निर्णय लिया गया कि:–

(1) (i) माईन लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर चौड़े सेफ्टी जोन के कुछ भाग में किये गये उत्खनन के कारण इस क्षेत्र के उपचारी उपायों (Remedial Measures) के संबंध में तथा लीज क्षेत्र के अंदर माईनिंग कियाकलापों के कारण उत्पन्न प्रदूषण नियंत्रण हेतु आवश्यक उपायों यथा वृक्षारोपण आदि के लिये समुचित उपायों बाबत् संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर, जिला – रायपुर (छत्तीसगढ़) को पत्र लिख किया जाए।

(ii) प्रतिबंधित 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में अवैध उत्खनन किया जाना पाये जाने पर परियोजना प्रस्तावक के विरूद्ध नियमानुसार आवश्यक वैधानिक कार्यवाही किये जाने हेतु संचालक, संचालनालय; भौमिकी तथा खनिकर्म को पत्र लेख किया जाए।

(iii) माईन लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर चौड़े सेफ्टी जोन के कुछ भाग में किये गये उत्खनन से पर्यावरण को क्षति होने के कारण छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर अटल नगर को नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु पत्र लेख किया जाए।

(2) पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर से मंगाये जाने हेतु पत्र लेख किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक को सशर्त टर्म्स ऑफ रेफरेन्स (टी.ओ.आर.) (लोक सुनवाई सहित) जारी किया जाए। साथ ही संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर एवं छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर अटल नगर तथा एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर को पत्र लेख किया जाए।

3. मेसर्स डुमरडीहकला लाईम स्टोन क्वारी (प्रो.– श्री धनराज जैन), ग्राम–डुमरडीहकला, तहसील व जिला–राजनांदगांव (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 2088)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 276293/ 2022, दिनांक 22/06/2022 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण – यह प्रस्तावित चूना पत्थर (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम–डुमरडीहकला, तहसील व जिला–राजनांदगांव स्थित खसरा क्रमांक 116/2, कुल क्षेत्रफल–1.295 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता–30,000 टन प्रतिवर्ष है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 19/10/2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठक का विवरण –

(अ) समिति की 430वीं बैठक दिनांक 27/10/2022:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री रितेश जैन, अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत पत्र का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर पाया गया कि आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित खदानों का क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर से अधिक है। अतः परियोजना प्रस्तावक को टी.ओ.आर. हेतु ऑनलाईन आवेदन किया जाना था परन्तु उनके द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु ऑनलाईन आवेदन किया गया है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से आवेदित प्रकरण को डि–लिस्ट/निरस्त किये जाने तथा विधिवत् आवेदन किये जाने हेतु परियोजना प्रस्तावक को लेख किये जाने की अनुशंसा की गई।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 19/12/2022 को संपन्न 135वीं बैठक में विचार किया गया। **प्राधिकरण द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से** समिति की अनुशंसा को स्वीकार करते हुये आवेदन को डि–लिस्ट / निरस्त करने का निर्णय लिया गया। साथ ही प्रस्ताव को वर्तमान में प्राप्त प्रारुप में यथावत् डि–लिस्ट / निरस्त किया जाता है तथा परियोजना प्रस्तावक को यह सुझाव दिया जाता है कि वह भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी ई.आई.ए. अधिसूचना, 2006 (यथा संशोधित) एवं समय–समय पर जारी गाईडलाईन्स के अनुसार आवेदन प्रस्तुत किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

4. **मेसर्स अग्रवाल ग्लोबल इन्फाटेक प्राईवेट लिमिटेड (डायरेक्टर–श्री राकेश अग्रवाल, जबकसा ऑर्डिनरी स्टोन क्वारी), ग्राम–जबकसा, तहसील–मानपुर, जिला–मानपुर–मोहला–अं.चौकी (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 2163)**

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 401958/ 2022, दिनांक 11/10/2022 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति (टेम्परारी परमिट) हेतु आवेदन किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण – यह प्रस्तावित साधारण पत्थर (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम–जबकसा, तहसील–मानपुर, जिला–मानपुर–मोहला–अं.चौकी स्थित पार्ट ऑफ खसरा क्रमांक 143/2, कुल क्षेत्रफल–1 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता–50,000 टन प्रतिवर्ष है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 26/10/2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठक का विवरण –

(अ) समिति की 430वीं बैठक दिनांक 27/10/2022:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री भावेश कुमार बैद, अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. कार्यपालन अभियंता कार्यालय, राष्ट्रीय राजमार्ग संभाग, लोक निर्माण विभाग रायपुर के मेमो नंबर 3849, दिनांक 20/10/2022 द्वारा "Up-gradation of Sherpar to Kohka from Km. 67+880 to Km. 114+860 of NH 930 to two lane with paved shoulder in the state of Chhattisgarh configuration under Engineering, Procurement & Construction (EPC) mode (Package-II) has

been awarded to M/s Agrawal Global Infratech Pvt. Ltd. Raipur" हेतु पत्र जारी किया गया है। प्राप्त पत्र में भारत सरकार का कार्य होने के कारण समय सीमा में नेशनल हाईवे का कार्य पूर्ण करने हेतु मेसर्स अग्रवाल ग्लोबल इन्फ्राटेक प्राईवेट लिमिटेड के आवेदन को यथाशीघ्र पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुरोध किया गया है।

2. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरणः**– इस खदान को पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।

3. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत ईरागांव का दिनांक 20/07/2022 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

4. **उत्खनन योजना** – क्वारी प्लान (एलांगविथ इन्व्हायरोमेंट मेनेजमेंट प्लान एण्ड क्वारी क्लोजर प्लान) प्रस्तुत किया गया है, जो खनि अधिकारी, जिला–बालोद के ज्ञापन क्रमांक/652/खनि.लि.1/माईनिंग प्लान अनुमोदन/2022 बालोद, दिनांक 21/09/2022 द्वारा अनुमोदित है।

5. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनि शाखा), जिला–मानपुर–मोहला–अं.चौकी के ज्ञापन क्रमांक 9/ख.लि. 02/2022 राजनांदगांव, दिनांक 29/09/2022 अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य खदानों की संख्या निरंक है।

6. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाए** – कार्यालय कलेक्टर (खनि शाखा), जिला–मानपुर–मोहला–अं.चौकी के ज्ञापन क्रमांक 9/ख. लि.02/2022 राजनांदगांव, दिनांक 29/09/2022 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मस्जिद, मरघट, अस्पताल, स्कूल, पुल, एनीकट, बांध एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र स्थित नहीं है।

7. **एल.ओ.आई. का विवरण** – एल.ओ.आई. कार्यालय कलेक्टर (खनि शाखा), जिला–मानपुर–मोहला–अं.चौकी के ज्ञापन क्रमांक 1/ख.लि.01/2022 राजनांदगांव, दिनांक 09/09/2022 द्वारा जारी की गई, जिसकी वैधता जारी दिनांक से 1 वर्ष की अवधि तक है।

8. **भू–स्वामित्व** – भूमि श्री भूपेन्द्र, श्री सुरेन्द्र, श्री ईशु, श्री भगवानी, सुश्री जमुना बाई, सुश्री गंगा, सुश्री रमुला, श्री अंकालो के नाम पर है। उत्खनन हेतु भूमि स्वामियों का सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया है।

9. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** – वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

10. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – कार्यालय वनमंडलाधिकारी, राजनांदगांव वनमंडल, राजनांदगांव के ज्ञापन क्रमांक/तक.अधि./न.क्र. 10–1/2022/6478 राजनांदगांव, दिनांक 02/09/2022 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र वन क्षेत्र की सीमा से 800 मीटर की दूरी पर है।

11. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम–जबकसा 400 मीटर एवं अस्पताल मानपुर 3.4 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 73 कि. मी. एवं राज्यमार्ग 110 मीटर दूर स्थित है। तालाब 1.6 कि.मी. दूर है।

12. **पारिस्थितिकीय / जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

13. **खनन संपदा एवं खनन का विवरण** – जियोलॉजिकल रिजर्व 3,00,000 टन, माईनेबल रिजर्व 96,906 टन एवं रिकव्हरेबल रिजर्व 92,060 टन है। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 4,172 वर्गमीटर है। ओपन कास्ट सेमी मेकेनाईज्ड विधि से उत्खनन किया जाएगा। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 16 मीटर है। लीज क्षेत्र में ऊपरी मिट्टी की मोटाई 1 मीटर है तथा कुल मात्रा 5,800 घनमीटर है। बेंच की ऊंचाई 3 मीटर एवं चौड़ाई 3 मीटर है। खदान की संभावित आयु 2 वर्ष है। लीज क्षेत्र में क्रशर स्थापित किया जाना प्रस्तावित नहीं है। जैक हैमर से ड्रिलिंग एवं कंट्रोल ब्लास्टिंग किया जाएगा। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाएगा। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:–

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
प्रथम	50,000
द्वितीय	45,000

14. **जल आपूर्ति** – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 8 घनमीटर प्रतिदिन होगी। जल की आपूर्ति बोरवेल के माध्यम से किया जाना प्रस्तावित है। इस बाबत् भू–जल की उपयोगिता हेतु सेन्ट्रल ग्राउण्ड वॉटर अथॉरिटी की अनुमति प्राप्त कर प्रस्तुत किया गया है।

15. **वृक्षारोपण कार्य** – लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में 800 नग वृक्षारोपण किया जाएगा। प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार पौधों के लिए राशि 43,000 रूपये, फेंसिंग के लिए राशि 20,000 रूपये, खाद एवं सिंचाई के लिए राशि 25,000 रूपये, रख–रखाव आदि के लिए राशि 24,000 रूपये, इस प्रकार कुल राशि 1,12,000 रूपये प्रथम वर्ष हेतु एवं रख–रखाव हेतु कुल राशि 1,86,500 रूपये आगामी चार वर्षों हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है।

16. **खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन** – लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में उत्खनन कार्य नहीं किया गया है।

17. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:–

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
30	2%	0.6	Following activities at nearby, **Village-Jabkasa**	
			Plantation at	2.30

			Quarry Approch Road & Panchayat Bhawan Boundary	
			Total	**2.30**

18. सी.ई.आर. के अंतर्गत खदान के पहुंच मार्ग में वृक्षारोपण हेतु (आम एवं जामुन) प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 200 नग पौधों के लिए राशि 15,000 रूपये, फेंसिंग के लिए राशि 10,000 रूपये, खाद एवं सिंचाई के लिए राशि 15,000 रूपये, रख–रखाव आदि के लिए राशि 24,000 रूपये, इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 64,000 रूपये तथा आगामी 4 वर्ष में कुल राशि 1,66,000 रूपये हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है। खदान के पहुंच मार्ग में वृक्षारोपण हेतु भूमि स्वामी श्री शंभू (भूमि खसरा क्रमांक 145, रकबा 1.23 हेक्टेयर) एवं भूमि स्वामी श्री भूपेन्द्र कुमार (भूमि खसरा क्रमांक 240/1, रकबा 0.933 हेक्टेयर) के सहमति उपरांत वृक्षारोपण किये जाने बाबत् शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है।

    समिति का मत है कि ग्राम पंचायत भवन में सी.ई.आर. के तहत् वृक्षारोपण किये जाने हेतु विस्तृत प्रस्ताव एवं ग्राम पंचायत का सहमति पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

19. समिति का मत है कि आवेदित लीज क्षेत्र के भीतर अवस्थित पौधों की जानकारी प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। साथ ही सक्षम प्राधिकारी के अनुमति उपरांत आवश्यकता पड़ने पर ही उक्त वृक्षों की कटाई किये जाने बाबत् शपथ पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

19. सी.ई.आर. एवं वृक्षारोपण कार्य के मॉनिटरिंग एवं पर्यवेक्षण हेतु त्रि–सदस्यीय समिति (प्रोपराईटर/प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत के पदाधिकारी/प्रतिनिधि एवं जिला प्रशासन या छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के पदाधिकारी/प्रतिनिधि) गठित किया जाना आवश्यक है। साथ ही सी.ई.आर. एवं वृक्षारोपण का कार्य पूर्ण किये जाने के उपरांत गठित त्रि–सदस्यीय समिति से सत्यापित कराया जाना आवश्यक है।

20. माननीय एन.जी.टी., प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली द्वारा सत्येंद्र पाण्डेय विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ओरिजनल एप्लिकेशन नं. 186 ऑफ 2016 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में मुख्य रुप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है:–

    a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.

    b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–

1. कार्यालय कलेक्टर (खनि शाखा), जिला–मानपुर–मोहला–अं.चौकी के ज्ञापन क्रमांक 9/ख.लि. 02/2022 राजनांदगांव, दिनांक 29/09/2022 अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य खदानों की संख्या निरंक है। आवेदित खदान (ग्राम–जबकसा) का क्षेत्रफल 1 हेक्टेयर है। खदान की सीमा

से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर या उससे कम होने के कारण यह खदान बी–2 श्रेणी की मानी गयी।

2. ऊपरी मिट्टी प्रबंधन (Top soil management) योजना एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ में प्रस्तुत किया जाए।

3. ग्राम पंचायत भवन में सी.ई.आर. के तहत् वृक्षारोपण किये जाने हेतु विस्तृत प्रस्ताव एवं ग्राम पंचायत का सहमति पत्र एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ में प्रस्तुत किया जाए।

4. आवेदित लीज क्षेत्र के भीतर अवस्थित वृक्षों की जानकारी प्रजातिवार गणना पत्रक सहित एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ में प्रस्तुत किया जाए। साथ ही सक्षम प्राधिकारी के अनुमति उपरांत आवश्यकता पड़ने पर ही उक्त वृक्षों की कटाई किये जाने बाबत् शपथ पत्र एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ में प्रस्तुत किया जाए।

5. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से आवेदक – मेसर्स अग्रवाल ग्लोबल इन्फ्राटेक प्राईवेट लिमिटेड (डायरेक्टर– श्री राकेश अग्रवाल, जबकसा ऑर्डिनरी स्टोन क्वारी) को ग्राम–जबकसा, तहसील–मानपुर, जिला–मानपुर–मोहला–अं.चौकी के पार्ट ऑफ खसरा क्रमांक 143/2 में स्थित साधारण पत्थर (गौण खनिज) खदान, कुल क्षेत्रफल–1 हेक्टेयर, 2 वर्षों में कुल क्षमता 95,000 टन से अधिक न हो, हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति दिए जाने की अनुशंसा की गई।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 19/12/2022 को संपन्न 135वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। प्राधिकरण द्वारा नोट किया गया कि:–

1. ऊपरी मिट्टी प्रबंधन (Top soil management) योजना प्रस्तुत किया गया है, जिसके अनुसार ऊपरी मिट्टी की गहराई 1 मीटर एवं मात्रा 5,800 घनमीटर है। इस मिट्टी को सीमा पट्टी (7.5 मीटर) में फैलाकर वृक्षारोपण के लिए उपयोग किया जाएगा।

2. सी.ई.आर. के अंतर्गत ग्राम पंचायत भवन में वृक्षारोपण हेतु (नीम, अर्जुन एवं जामुन) प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 1,400 नग पौधों के लिए राशि 91,000 रूपये, फेंसिंग के लिए राशि 32,000 रूपये, खाद एवं सिंचाई के लिए राशि 74,000 रूपये, रख–रखाव आदि के लिए राशि 1,20,000 रूपये, इस प्रकार आगामी 5 वर्ष में कुल राशि 3,17,000 रूपये हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है। सी.ई.आर. के तहत् ग्राम पंचायत ईरागांव (खसरा क्रमांक 1/1, क्षेत्रफल 30.88 हेक्टेयर में से 2 हेक्टेयर क्षेत्र) में वृक्षारोपण किये जाने हेतु सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया है।

3. आवेदित लीज क्षेत्र के भीतर अवस्थित वृक्षों की जानकारी प्रजातिवार गणना पत्रक सहित प्रस्तुत किया गया है। साथ ही सक्षम प्राधिकारी के अनुमति उपरांत आवश्यकता पड़ने पर ही उक्त वृक्षों की कटाई किये जाने बाबत् शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है।

प्राधिकरण द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया:–

1. समिति की अनुशंसा को स्वीकार करते हुये आवेदक – मेसर्स अग्रवाल ग्लोबल इन्फ्राटेक प्राईवेट लिमिटेड (डायरेक्टर–श्री राकेश अग्रवाल, जबकसा ऑर्डिनरी

स्टोन क्वारी) को निम्न अतिरिक्त शर्त के अधीन पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने का निर्णय लिया गया:–

"लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी तथा सी.ई.आर. के तहत् किये जाने वाले वृक्षारोपण की जानकारी जियोटेग (Geotag) फोटोग्राफ्स सहित अर्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित करते हुये प्रस्तुत किया जाए।"

साथ ही समिति द्वारा निहित किये गये शर्तों का पालन सुनिश्चित किया जाए। पालन नहीं किये जाने की स्थिति में विधिवत् वैधानिक कार्यवाही की जाएगी।

परियोजना प्रस्तावक को सशर्त पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किया जाए।

5. मेसर्स राशि स्टील एण्ड पॉवर लिमिटेड (बेलटुकरी डोलोमाईट क्वारी), ग्राम–बेलटुकरी, तहसील–मस्तुरी, जिला–बिलासपुर (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1952)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 258893/2022, दिनांक 01/03/2022 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण – यह प्रस्तावित डोलोमाईट (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम–बेलटुकरी, तहसील–मस्तुरी, जिला–बिलासपुर स्थित खसरा क्रमांक – 331/1, 331/2, 331/4, 331/5, 331/8, 331/9, 331/10, 331/11, 332/4, 333, 335/1, 335/2, 335/3, 336/1, 336/2, 336/3, 336/5, 336/6, 336/7, 336/9, 336/10, 336/11 एवं 339/2, कुल क्षेत्रफल–4.107 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता–1,99,992 टन प्रतिवर्ष है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 03/06/2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 410वीं बैठक दिनांक 16/06/2022:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री मनोज कुमार सागर, प्रोपराईटर एवं श्री धनंजय चौबे, डॉयरेक्टर उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:–** इस खदान को पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।
2. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत बेलटुकरी का दिनांक 12/03/2022 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
3. **उत्खनन योजना** – क्वारी प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो अतिरिक्त संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, नवा रायपुर अटल नगर के पृ. ज्ञापन क्रमांक 307–10/माईनिंग–2/क्यू.पी./एफ.नं. 11/2021 नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 21/01/2022 द्वारा अनुमोदित है।
4. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–बिलासपुर के ज्ञापन क्रमांक 3331/ख.लि./न.क्र. 24/2022 बिलासपुर,

दिनांक 23/02/2022 अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य खदानों की संख्या निरंक है।

5. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाए** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–बिलासपुर के ज्ञापन क्रमांक 3331/ख.लि./न. क्र. 23/2022 बिलासपुर, दिनांक 23/02/2022 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्यमार्ग, पुल, बांध, स्कूल, अस्पताल, मंदिर, मस्जिद, गुरूद्वारा, मरघट एवं एनीकट आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है। नाला 50 मीटर दूर है।

6. **एल.ओ.आई. का विवरण** – एल.ओ.आई., छत्तीसगढ़ शासन, खनिज साधन विभाग, मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर के ज्ञापन क्रमांक एफ 2–2/2017/12 नवा रायपुर, दिनांक 08/09/2021 द्वारा "उत्खनन पट्टा क्षेत्र में खनन कार्य हेतु पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 के तहत् खनन कार्य हेतु आवश्यक पर्यावरण अनुमति प्राप्त कर इस विभाग को प्रस्तुत करें।" शर्तों के अधीन जारी की गई है।

7. **भू–स्वामित्व** –

खसरा नंबर	भू–स्वामित्व	खसरा नंबर	भू–स्वामित्व
331/1	जे.एम.कोल बेनीफिकेशन एण्ड पॉवर प्रा.लि.	335/1	राशि स्टील एण्ड पॉवर लि.
331/4		335/3	
333		336/1	
331/5		336/2	
331/8	राशि स्टील एण्ड पॉवर लि.	336/3	
331/9		336/5	
331/10		336/6	
331/11		336/7	
335/2		336/9	
331/2	श्री संतकुमार	336/10	
332/4	श्री संतराम	336/11	
		339/2	

उत्खनन हेतु भूमि स्वामियों (जे.एम.कोल बेनीफिकेशन एण्ड पॉवर प्रा.लि., संतकुमार एवं संतराम) के सहमति पत्र की प्रति प्रस्तुत की गई है।

8. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** – वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

9. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – कार्यालय वनमंडलाधिकारी, बिलासपुर वनमंडल जिला–बिलासपुर के ज्ञापन क्रमांक/तक.अधि./4315 बिलासपुर, दिनांक 06/09/2013 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है। समिति का मत है कि लीज सीमा से निकटतम वन क्षेत्र की वास्तविक दूरी संबंधी जानकारी हेतु वन विभाग से जारी अनापत्ति प्रमाणपत्र की अद्यतन प्रति प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। चूंकि उक्त जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र से निकटतम वन क्षेत्र की वास्तविक दूरी की स्थिति स्पष्ट नहीं हो रही है। लीज सीमा से अचानकमार टाईगर रिजर्व की वास्तविक दूरी संबंधी जानकारी उपसंचालक, अचानकमार टाईगर रिजर्व से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र की प्रति प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

10. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम–बेलटुकरी 1.2 कि.मी., स्कूल ग्राम–बेलटुकरी 1.2 कि.मी. एवं अस्पताल जयरामनगर 3 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 8 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 19 कि.मी. दूर है।

11. **पारिस्थितिकीय / जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

12. **खनन संपदा एवं खनन का विवरण** – जियोलॉजिकल रिजर्व 24,23,525 टन एवं माईनेबल रिजर्व 12,22,650 टन है। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 7,344 वर्गमीटर है। ओपन कास्ट सेमी मेकेनाईज्ड विधि से उत्खनन किया जाएगा। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 30 मीटर है। लीज क्षेत्र में 4,240 वर्गमीटर क्षेत्र को गैर माईनिंग क्षेत्र रखा गया है। बेंच की ऊंचाई 3 मीटर एवं चौड़ाई 3 मीटर है। खदान की संभावित आयु 50 वर्ष है। लीज क्षेत्र में क्रशर स्थापित किया जाना प्रस्तावित नहीं है। जैक हैमर से ड्रिलिंग एवं कंट्रोल ब्लास्टिंग किया जाएगा। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाएगा। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है :–

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
प्रथम	59,982
द्वितीय	1,29,974
तृतीय	1,39,997
चतुर्थ	1,49,994
पंचम	1,99,992

13. लीज क्षेत्र में ऊपरी मिट्टी की मोटाई 0.5 मीटर है तथा कुल मात्रा 13,260 घनमीटर है, जिसमें से 7,300 घनमीटर ऊपरी मिट्टी को सीमा पट्टी (7.5 मीटर उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) में फैलाकर वृक्षारोपण के लिए उपयोग एवं शेष 5,960 घनमीटर ऊपरी मिट्टी को लीज क्षेत्र के समीप स्थित भूमि (खसरा क्रमांक 327) में भंडारण किया जाएगा। ओव्हर बर्डन की मोटाई 1 से 1.5 मीटर है तथा कुल मात्रा 21,442 घनमीटर है, जिसमें से 550 घनमीटर ओव्हर बर्डन को पूर्व से उत्खनित सीमा पट्टी (7.5 मीटर उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) में पुनःभराव एवं 10,550 घनमीटर ओव्हर बर्डन को गैर माईनिंग क्षेत्र में भंडारण एवं शेष 10,362 घनमीटर ओव्हर बर्डन को लीज क्षेत्र के समीप स्थित भूमि (खसरा क्रमांक 336/4, 335/3) में भंडारण किया जाएगा।

14. **जल आपूर्ति** – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 8 घनमीटर प्रतिदिन होगी। खदान में विभिन्न क्रियाकलापों (जल छिड़काव, वृक्षारोपण) हेतु जल की आपूर्ति आसपास स्थित निष्क्रिय खदानों में एकत्रित जल एवं पेयजल की आपूर्ति बोरवेल से की जाएगी। भू–जल की उपयोगिता हेतु सेन्ट्रल ग्राउण्ड वॉटर अथॉरिटी से अनुमति प्राप्त कर प्रस्तुत नहीं की गई है।

15. **वृक्षारोपण कार्य** – लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में 1,500 नग वृक्षारोपण किया जाएगा। प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार पौधों के लिए राशि 75,000 रूपये, फेंसिंग के लिए राशि 2,53,750 रूपये तथा खाद, सिंचाई एवं

रख–रखाव के लिए राशि 82,000 रूपये इस प्रकार कुल राशि 4,10,750 रूपये प्रथम वर्ष हेतु एवं रख–रखाव आदि के लिए कुल राशि 60,000 रूपये आगामी चार वर्षों हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है।

16. **खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन** – प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी का कुल क्षेत्रफल 7,344 वर्गमीटर क्षेत्र है, जिसमें से 220 वर्गमीटर क्षेत्र 2 मीटर एवं 714 वर्गमीटर क्षेत्र 2 मीटर की गहराई तक पूर्व से उत्खनित है, जिसका उल्लेख अनुमोदित माईनिंग प्लान में किया गया है। प्रतिबंधित 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन किया जाना पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों का उल्लघंन है। अतः परियोजना प्रस्तावक के विरूद्ध नियमानुसार आवश्यक दण्डात्मक कार्यवाही किया जाना आवश्यक है।

17. उल्लेखनीय है कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा नॉन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु मानक पर्यावरणीय शर्तें जारी की गई है। शर्त कमांक VIII (i) के अनुसारः–

"The Project Proponent shall develop greenbelt in 7.5m wide safety zone all along the mine lease boundary as per the guidelines of CPCB in order to arrest pollution emanating from mining operations within the lease. The whole green belt shall be developed within first 5 years starting from windward side of the active mining area. The development of greenbelt shall be governed as per the EC granted by the Ministry irrespective of the stipulation made in approved mine plan."

उक्त मानक शर्त के अनुसार माईन लीज क्षेत्र के अंदर 7.5 मीटर चौडे सेफ्टी जोन में वृक्षारोपण किया जाना आवश्यक है।

18. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई. आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:–

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
75	2%	1.5	Following activities at Nearby Govt. Primary & Middle School, Village- Beltukari	
			Rain water harvesting system	1.40
			Plantation (30 No's)	0.10
			Total	**1.50**

19. सी.ई.आर. के तहत् प्रस्तावित स्कूल के प्राचार्य (Principal) का सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया है। समिति का मत है कि सी.ई.आर. के तहत् वृक्षारोपण हेतु पौधों का रोपण, सुरक्षा हेतु फेंसिंग, खाद एवं सिंचाई तथा रख–रखाव के लिए 5 वर्षों का घटकवार एवं समयवार व्यय का विवरण सहित विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

20. यदि परियोजना प्रस्तावक शेष ऊपरी मिट्टी मात्रा 5,960 घनमीटर एवं ओव्हर बर्डन मात्रा 10,362 घनमीटर को लीज क्षेत्र के बाहर प्रस्तावित स्थल में भण्डारित करना चाहता है तो समिति का मत है कि उक्त ऊपरी मिट्टी एवं ओव्हर बर्डन को लीज क्षेत्र के बाहर भंडारित कर संरक्षित रखे जाने हेतु, मिट्टी एवं ओव्हर बर्डन का दुरूपयोग न करने, विक्रय न करने एवं अन्य कार्यों में उपयोग नहीं किये जाने एवं इस मिट्टी एवं ओव्हर बर्डन का उपयोग पुनःभराव में किये जाने बाबत् शपथ पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

21. परियोजना प्रस्तावाक द्वारा प्रस्तुतीकरण के दौरान बताया गया कि नाला एवं खदान बाउण्ड्री के मध्य की भूमि मेसर्स राशि स्टील एण्ड पॉवर लिमिटेड के नाम पर है। समिति द्वारा परियोजना प्रस्तावक को उक्त भूमि पर वृक्षारोपण किये जाने हेतु निर्देशित किया गया। इस संबंध में परियोजना प्रस्तावक द्वारा विस्तृत प्राक्कलन सहित शपथ पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था कि:–

1. लीज सीमा से निकटतम वन क्षेत्र की वास्तविक दूरी संबंधी जानकारी हेतु वन विभाग से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र की अद्यतन प्रति प्रस्तुत किया जाए। साथ ही लीज सीमा से अचानकमार टाईगर रिजर्व की वास्तविक दूरी संबंधी जानकारी उपसंचालक, अचानकमार टाईगर रिजर्व से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र की प्रति प्रस्तुत किया जाए।

2. भू–जल की उपयोगिता हेतु सेन्ट्रल ग्राउण्ड वॉटर अथॉरिटी से अनुमति प्राप्त कर प्रस्तुत की जाए।

3. सी.ई.आर. के तहत् वृक्षारोपण हेतु पौधों का रोपण, सुरक्षा हेतु फेंसिंग, खाद एवं सिंचाई तथा रख–रखाव के लिए 5 वर्षों का घटकवार एवं समयवार व्यय का विवरण सहित विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।

4. प्रतिबंधित 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में अवैध उत्खनन किया जाना पाये जाने पर परियोजना प्रस्तावक के विरूद्ध नियमानुसार आवश्यक दण्डात्मक कार्यवाही किये जाने हेतु संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म एवं पर्यावरण को क्षति पहुंचाने हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नया रायपुर अटल नगर को आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

5. खदान की लीज सीमा से ऊपरी मिट्टी को लीज क्षेत्र के बाहर भंडारित करने हेतु भूमि कितनी दूरी पर स्थित है? के संबंध में नक्शे में दर्शाते हुये जानकारी प्रस्तुत की जाए।

6. शेष 5,960 घनमीटर ऊपरी मिट्टी को लीज क्षेत्र के समीप स्थित भूमि (खसरा क्रमांक 327) एवं शेष 10,362 घनमीटर ओव्हर बर्डन को लीज क्षेत्र के समीप स्थित भूमि (खसरा क्रमांक 336/4, 335/3) में भंडारण किये जाने हेतु उक्त खसरा के भूमि स्वामियों का सहमति पत्र प्रस्तुत किया जाए। साथ ही ऊपरी मिट्टी एवं ओव्हर बर्डन को लीज क्षेत्र के बाहर भंडारित कर संरक्षित रखे जाने हेतु, मिट्टी एवं ओव्हर बर्डन का दुरूपयोग न करने, विक्रय न करने एवं अन्य कार्यों में उपयोग नहीं किये जाने एवं इस मिट्टी एवं ओव्हर बर्डन का उपयोग पुनःभराव में किये जाने बाबत् शपथ पत्र प्रस्तुत किया जाए।

7. नाला एवं खदान बाउण्ड्री के मध्य की भूमि पर वृक्षारोपण किये जाने बाबत् विस्तृत प्राक्कलन प्रस्तुत किया जाए। तदानुसार वृक्षारोपण करने हेतु शपथ पत्र प्रस्तुत किया जाए।

उपरोक्त वांछित जानकारी/दस्तावेज प्राप्त होने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

तदानुसार एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 20/07/2022 के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा जानकारी/दस्तावेज दिनांक 22/09/2022 को प्रस्तुत किया गया है।

(ब) समिति की 431वीं बैठक दिनांक 28/10/2022:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:-

1. कार्यालय उप संचालक, अचानकमार टाईगर रिजर्व लोरमी, जिला-मुंगेली के ज्ञापन क्रमांक व.प्रा./स्टेनो/3706/लोरमी/दिनांक 02/09/2022 द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र निकटतम वन्य जीव अभयारण्य अचानकमार टाईगर रिजर्व की सीमा से 50 कि.मी. की दूरी पर है। साथ ही कार्यालय वनमंडलाधिकारी, बिलासपुर वनमंडल जिला-बिलासपुर के ज्ञापन क्रमांक/तक.अधि./4315 बिलासपुर, दिनांक 06/09/2013 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

2. परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 8 घनमीटर प्रतिदिन होगी, जो कि 10 घनमीटर प्रतिदिन से कम है। अतः भू-जल की उपयोगिता हेतु सेन्ट्रल ग्राउण्ड वॉटर अथॉरिटी से छूट प्रमाण पत्र लीज एग्रीमेंट के उपरांत खनन संक्रिया प्रारंभ करने के पूर्व छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल से जल एवं वायु सम्मति के प्राप्ति के दौरान लिया जाएगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा उक्त बाबत् सशर्त पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने का अनुरोध किया गया है।

3. सी.ई.आर. के अंतर्गत वृक्षारोपण हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 30 नग पौधों के लिए राशि 1,500 रूपये, फेंसिंग के लिए राशि 3,600 रूपये, खाद, सिंचाई तथा रख-रखाव आदि के लिए राशि 5,200 रूपये, इस प्रकार आगामी 5 वर्ष में कुल राशि 10,300 रूपये हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है।

4. खदान की लीज सीमा से ऊपरी मिट्टी को लीज क्षेत्र के बाहर भंडारित करने हेतु भूमि 15 मीटर की दूरी पर स्थित है। इस संबंध में नक्शे में दर्शाते हुये जानकारी प्रस्तुत की गई है।

5. शेष 5,960 घनमीटर ऊपरी मिट्टी को लीज क्षेत्र के समीप स्थित भूमि (खसरा क्रमांक 327) एवं शेष 10,362 घनमीटर ओव्हर बर्डन को लीज क्षेत्र के समीप स्थित भूमि (खसरा क्रमांक 336/4, 335/3) में भंडारण किये जाने हेतु उक्त खसरा के भूमि स्वामियों का सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया है। साथ ही ऊपरी मिट्टी एवं ओव्हर बर्डन को लीज क्षेत्र के बाहर भंडारित कर संरक्षित रखे जाने हेतु, मिट्टी एवं ओव्हर बर्डन का दुरूपयोग न करने, विक्रय न करने एवं अन्य कार्यों में उपयोग नहीं किये जाने एवं इस मिट्टी एवं ओव्हर बर्डन का उपयोग पुनःभराव में किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

6. नाला एवं खदान बाउण्ड्री के मध्य की भूमि पर वृक्षारोपण किये जाने बाबत् विस्तृत प्राक्कलन प्रस्तुत किया गया है। प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 300 नग पौधों के लिए राशि 15,000 रूपये, खाद, सिंचाई तथा रख-रखाव आदि के लिए राशि 6,200 रूपये, इस प्रकार आगामी 5 वर्ष में कुल राशि 21,200 रूपये हेतु

घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है। तदानुसार वृक्षारोपण करने हेतु शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

7. सी.ई.आर. एवं वृक्षारोपण कार्य के मॉनिटरिंग एवं पर्यवेक्षण हेतु त्रि–सदस्यीय समिति (प्रोपराईटर/प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत के पदाधिकारी/प्रतिनिधि एवं जिला प्रशासन या छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के पदाधिकारी/प्रतिनिधि) गठित किया जाना आवश्यक है। साथ ही सी.ई.आर. एवं वृक्षारोपण का कार्य पूर्ण किये जाने के उपरांत गठित त्रि–सदस्यीय समिति से सत्यापित कराया जाना आवश्यक है।

8. माननीय एन.जी.टी., प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली द्वारा सत्येंद्र पाण्डेय विरुद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ओरिजनल एप्लिकेशन नं. 186 ऑफ 2016 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में मुख्य रुप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है:–

   a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.

   b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–

1. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–बिलासपुर के ज्ञापन क्रमांक 3331/ख.लि./न.क्र. 24/2022 बिलासपुर, दिनांक 23/02/2022 अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य खदानों की संख्या निरंक है। आवेदित खदान (ग्राम–बेलटुकरी) का क्षेत्रफल 4.107 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर या उससे कम होने के कारण यह खदान बी–2 श्रेणी की मानी गयी।

2. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से आवेदक – मेसर्स राशि स्टील एण्ड पॉवर लिमिटेड (बेलटुकरी डोलोमाईट क्वारी) को ग्राम–बेलटुकरी, तहसील–मस्तुरी, जिला–बिलासपुर के खसरा क्रमांक – 331/1, 331/2, 331/4, 331/5, 331/8, 331/9, 331/10, 331/11, 332/4, 333, 335/1, 335/2, 335/3, 336/1, 336/2, 336/3, 336/5, 336/6, 336/7, 336/9, 336/10, 336/11 एवं 339/2 में स्थित डोलोमाईट (गौण खनिज) खदान, कुल क्षेत्रफल–4.107 हेक्टेयर, क्षमता–1,99,992 टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति दिए जाने की अनुशंसा की गई।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 19/12/2022 को संपन्न 135वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। **प्राधिकरण द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया:–**

1. समिति की अनुशंसा को स्वीकार करते हुये आवेदक – मेसर्स राशि स्टील एण्ड पॉवर लिमिटेड (बेलटुकरी डोलोमाईट क्वारी) को निम्न अतिरिक्त शर्त के अधीन पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने का निर्णय लिया गया:–

i. लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी तथा सी.ई.आर. के तहत् किये जाने वाले वृक्षारोपण की जानकारी जियोटेग (Geotag) फोटोग्राफ्स सहित अर्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित करते हुये प्रस्तुत किया जाए।

ii. Project Proponent shall submit an undertaking that the top soil would be stacked at the earmarked place as per proposal submitted and shall use the same in plantation and backfilling of the mined out area.

साथ ही समिति द्वारा निहित किये गये शर्तों का पालन सुनिश्चित किया जाए। पालन नहीं किये जाने की स्थिति में विधिवत् वैधानिक कार्यवाही की जाएगी।

परियोजना प्रस्तावक को सशर्त पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किया जाए।

6. मेसर्स रेवतपुर ब्रिक्स अर्थ क्ले क्वारी एण्ड फिक्स चिमनी ब्रिक प्लांट (प्रो.– श्री सुरेन्द्र कुमार जायसवाल), ग्राम–रेवतपुर, तहसील–राजपुर, जिला–बलरामपुर–रामानुजगंज (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1793)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 226257/2021, दिनांक 01/09/2021।

प्रस्ताव का विवरण – यह प्रस्तावित मिट्टी उत्खनन (गौण खनिज) खदान एवं फिक्स चिमनी ईंट उत्पादन इकाई है। खदान ग्राम–रेवतपुर, तहसील–राजपुर, जिला–बलरामपुर–रामानुजगंज स्थित खसरा क्रमांक 321 एवं 1344/34, कुल क्षेत्रफल–1.02 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता – 400 घनमीटर प्रतिवर्ष है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 18/01/2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 396वीं बैठक दिनांक 25/01/2022:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री पंकज जायसवाल, अधिकृत प्रतिनिधी उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण**:– इस खदान को पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।
2. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत धंधापुर का दिनांक 30/01/2021 एवं ग्राम पंचायत रेवतपुर का दिनांक 10/12/2020 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
3. **उत्खनन योजना** – क्वारी प्लान एलॉग विथ क्वारी क्लोजर प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो खनि अधिकारी, जिला–कोरिया के ज्ञापन क्रमांक/1208/खनिज/खनि.2/2021/कोरिया बैकुण्ठपुर, दिनांक 18/08/2021 द्वारा अनुमोदित है।
4. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–बलरामपुर–रामानुजगंज के ज्ञापन क्रमांक/607/खनिज/उत्खनि./2021 बलरामपुर, दिनांक 07/07/2021 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य खदानों की संख्या निरंक है।
5. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाए** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–बलरामपुर–रामानुजगंज के ज्ञापन

क्रमांक/608/खनिज/उत्खनि./2021 बलरामपुर, दिनांक 07/07/2021 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे धार्मिक स्थल, मंदिर, मस्जिद, मरघट, अस्पताल, स्कूल, पुल, बांध, जलाशय, राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्यमार्ग एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र स्थित नहीं है।

6. **एल.ओ.आई. संबंधी विवरण** – एल.ओ.आई. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–बलरामपुर–रामानुजगंज के ज्ञापन क्रमांक/551/गौण खनिज/उत्खननपट्टा/2021 बलरामपुर, दिनांक 17/06/2021 द्वारा जारी की गई, जिसकी वैधता जारी दिनांक से 1 वर्ष की अवधि तक है।

7. **भू–स्वामित्व** – भूमि खसरा क्रमांक 1344/34 श्री बंशरोपन जायसवाल एवं खसरा क्रमांक 321 श्री सुरेन्द जायसवाल, श्री प्रसनल जायसवाल, श्री रामधारी जायसवाल के नाम पर है। उत्खनन हेतु भूमि स्वामी का सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया है।

8. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** – वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

9. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, बलरामपुर वनमण्डल, बलरामपुर के ज्ञापन क्रमांक/मा.चि./2020/6189 बलरामपुर, दिनांक 11/12/2020 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र की सीमा वन क्षेत्र से उत्तर में 1 कि.मी. की दूरी पर है।

10. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम–रेवतपुर 1.4 कि.मी., स्कूल ग्राम–रेवतपुर 1.4 कि.मी. एवं अस्पताल ग्राम–रेवतपुर 1.5 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 16 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 42 कि.मी. दूर है। महान नदी 4.5 कि.मी. दूर है।

11. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

12. **खनन संपदा एवं खनन का विवरण** – जियोलॉजिकल रिजर्व 20,400 घनमीटर, माईनेबल रिजर्व 14,328 घनमीटर एवं रिकव्हरेबल रिजर्व 13,611 घनमीटर है। लीज की 1 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 470 वर्गमीटर है। ओपन कास्ट मैन्युअल विधि से उत्खनन किया जाएगा। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 2 मीटर है। बेंच की ऊंचाई 1 मीटर एवं चौड़ाई 1 मीटर है। लीज क्षेत्र के भीतर 0.2 हेक्टेयर में क्षेत्र ईंट निर्माण हेतु भठ्ठा स्थापित किया जाना प्रस्तावित है, जिसकी फिक्स चिमनी की ऊंचाई 33 मीटर होगी। ईंट निर्माण हेतु मिट्टी के साथ 50 प्रतिशत फ्लाई ऐश का उपयोग किया जायेगा। खदान की संभावित आयु 20 वर्ष है। एक लाख ईंट निर्माण हेतु 12 टन कोयला की आवश्यकता होगी। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जायेगा। अनुमोदित क्वारी प्लान अनुसार वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:–

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (घनमीटर)	उत्पादन (नग)
प्रथम	400	4,00,000
द्वितीय	400	4,00,000
तृतीय	400	4,00,000

चतुर्थ	400	4,00,000
पंचम	400	4,00,000

आगामी वर्षों का उत्पादन योजना

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (घनमीटर)	उत्पादन (नग)
षष्टम	400	4,00,000
सप्तम	400	4,00,000
अष्टम	400	4,00,000
नवम	400	4,00,000
दशम	400	4,00,000

13. **जल आपूर्ति** – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 5.41 घनमीटर प्रतिदिन होगी। जल की आपूर्ति ग्राम पंचायत द्वारा टैंकर के माध्यम से किया जाएगा। इस बाबत् ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

14. **वृक्षारोपण कार्य** – लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 1 मीटर की पट्टी में 236 नग वृक्षारोपण किया जाएगा।

15. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई. आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु उपयुक्त विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया गया है। समिति का मत है कि "पवित्र वन" के तहत् (आंवला, बड़ पीपल, नीम, आम, अर्जुन, बेल आदि) ग्राम पंचायत के सहमति उपरांत यथायोग्य स्थान (खसरावार विवरण सहित) में वृक्षारोपण हेतु पौधों, फेंसिंग, खाद एवं सिंचाई तथा रख–रखाव के लिए 5 वर्षों का घटकवार व्यय का विवरण विस्तृत प्रस्ताव सहित प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

16. ईंट निर्माण हेतु उपयोग में लाए गए कोयले की मात्रा एवं उससे जनित ऐश की मात्रा एवं रिजेक्ट ब्रिक्स (Reject bricks)/ब्रोकन ब्रिक्स (Broken bricks) के उपयोग की जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:–

1. जिग–जैग किल्न के निर्माण हेतु ड्राईंग, डिजाईन एवं विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।
2. ईंट निर्माण हेतु उपयोग में लाए गए कोयले की मात्रा एवं उससे जनित ऐश की मात्रा एवं रिजेक्ट ब्रिक्स (Reject bricks)/ब्रोकन ब्रिक्स (Broken bricks) के उपयोग की जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया जाए।
3. सी.ई.आर. का विस्तृत प्रस्ताव "पवित्र वन" के तहत् (आंवला, बड़ पीपल, नीम, आम, अर्जुन, बेल आदि) ग्राम पंचायत के सहमति उपरांत यथायोग्य स्थान (खसरावार विवरण सहित) में वृक्षारोपण हेतु पौधों, फेंसिंग, खाद एवं सिंचाई तथा रख–रखाव के लिए 5 वर्षों का घटकवार व्यय का विवरण विस्तृत प्रस्ताव सहित प्रस्तुत किया जाए।
4. उपरोक्त वांछित जानकारी/दस्तावेज प्राप्त होने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

तदानुसार एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 22/02/2022 के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा जानकारी/दस्तावेज दिनांक 02/03/2022 को प्रस्तुत किया गया है।

(ब) समिति की 402वीं बैठक दिनांक 16/03/2022:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. जिग–जैग किल्न के निर्माण हेतु ड्राईंग, डिजाईन एवं विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है।
2. ईंट निर्माण हेतु उपयोग मे लाए गए कोयले की मात्रा 10 टन से 12 टन एवं उससे जनित ऐश की मात्रा 5 प्रतिशत से 7 प्रतिशत तथा रिजेक्ट ब्रिक्स (Reject bricks)/ब्रोकन ब्रिक्स (Broken bricks) का उपयोग पहुंच मार्ग के रख–रखाव मे किया जाएगा।
3. सी.ई.आर. के अंतर्गत "पवित्र वन" के तहत् (आंवला, बड़ पीपल, नीम, आम, अर्जुन, बेल आदि) वृक्षारोपण हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार पौधों के लिए राशि 1,900 रूपये, फेंसिंग के लिए राशि 40,000 रूपये, खाद के लिए राशि 1,400 रूपये, रख–रखाव के लिए राशि 84,000 रूपये, झुला एवं फिसलपट्टी के लिए राशि 20,000 रूपये, लाईटिंग, डस्टबीन आदि के लिए राशि 21,500 रूपये, इस प्रकार कुल राशि 1,68,800 रूपये, 5 वर्ष हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्राम पंचायत के सहमति उपरांत यथायोग्य स्थान (खसरा क्रमांक 462/1, क्षेत्रफल 1 एकड़) के संबंध में जानकारी प्रस्तुत की गई है। समिति द्वारा सी.ई.आर. के अंतर्गत "पवित्र वन" के तहत् झुला, फिसलपट्टी, लाईटिंग, डस्टबीन आदि का कार्य, के प्रस्ताव को अमान्य किया गया। समिति का मत है कि उपरोक्तानुसार सी.ई.आर. के तहत् "पवित्र वन" का विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. का विस्तृत प्रस्ताव "पवित्र वन" के तहत् (आंवला, बड पीपल, नीम, आम, अर्जुन, बेल आदि) में वृक्षारोपण हेतु पौधों, फेंसिंग, खाद एवं सिंचाई तथा रख–रखाव के लिए 5 वर्षों का घटकवार व्यय का विवरण विस्तृत प्रस्ताव सहित प्रस्तुत किये जाने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

तदानुसार एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 22/04/2022 के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा जानकारी/दस्तावेज दिनांक 27/04/2022 को प्रस्तुत किया गया है।

(स) समिति की 410वीं बैठक दिनांक 16/06/2022:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई कि:–

1. परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:–

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
28	2%	0.56	Following activities at **Village-Revatpur**	

			Pavitra Van Nirman	2.26
			Total	**2.26**

2. सी.ई.आर. के अंतर्गत "पवित्र वन निर्माण" के तहत् (आंवला, बड़, पीपल, नीम, आम, अर्जुन, बेल आदि) वृक्षारोपण हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 200 नग पौधों के लिए राशि 600 रूपये, फेंसिंग के लिए राशि 40,000 रूपये, खाद के लिए राशि 700 रूपये, सिंचाई तथा रख–रखाव के लिए राशि 41,000 रूपये, इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 82,300 रूपये तथा आगामी 4 वर्ष में कुल राशि 1,44,000 रूपये हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है। सी.ई.आर. के तहत् पवित्र वन हेतु ग्राम पंचायत रेवतपुर के सहमति उपरांत यथायोग्य स्थान (खसरा क्रमांक 464/1, क्षेत्रफल 1 एकड़) के संबंध में जानकारी प्रस्तुत की गई है।

3. एल.ओ.आई. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–बलरामपुर–रामानुजगंज के ज्ञापन क्रमांक/551/गौण खनिज/उत्खननपट्टा/2021 बलरामपुर, दिनांक 17/06/2021 द्वारा जारी की गई, जिसकी वैधता जारी दिनांक से 1 वर्ष की अवधि तक थी, जिसकी वैधता समाप्त हो गई है। अतः एल.ओ.आई. की वैधता वृद्धि संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा एल.ओ.आई. की वैधता वृद्धि संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत किये जाने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

तदानुसार एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 20/07/2022 के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा जानकारी/दस्तावेज दिनांक 06/10/2022 को प्रस्तुत किया गया है।

(द) समिति की 431वीं बैठक दिनांक 28/10/2022:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, नवा रायपुर अटल नगर के ज्ञापन क्रमांक 5108/खनि 02/उ.प.–अनु.निष्पा./न.क्र. 50/2017 (4) नवा रायपुर, दिनांक 30/09/2022 द्वारा एल.ओ.आई. की वैधता वृद्धि हेतु पत्र जारी किया गया है, जिसके अनुसार प्रकरण में पर्यावरण स्वीकृति प्राप्त करने एवं तत्पश्चात् उत्खनिपट्टा स्वीकृति आदेश जारी करने हेतु अतिरिक्त समयावधि प्रदान किया गया है।

2. समिति का मत है कि सी.ई.आर. एवं वृक्षारोपण कार्य के मॉनिटरिंग एवं पर्यवेक्षण हेतु त्रि–पक्षीय समिति (प्रोपराईटर/प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत के पदाधिकारी/प्रतिनिधि एवं जिला प्रशासन या छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के पदाधिकारी/प्रतिनिधि) गठित किया जाना आवश्यक है। साथ ही सी.ई.आर. एवं वृक्षारोपण का कार्य पूर्ण किये जाने के उपरांत गठित त्रि–पक्षीय समिति से सत्यापित कराया जाना आवश्यक है।

3. माननीय एन.जी.टी., प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली द्वारा सत्येंद्र पाण्डेय विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ओरिजनल एप्लिकेशन नं. 186 ऑफ 2016 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में मुख्य रुप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है:–

a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.

b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–

1. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–बलरामपुर–रामानुजगंज के ज्ञापन क्रमांक / 607 / खनिज / उत्खनि. / 2021 बलरामपुर, दिनांक 07 / 07 / 2021 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य खदानों की संख्या निरंक है। आवेदित खदान (ग्राम–रेवतपुर) का रकबा 1.02 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत / संधालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर या उससे कम होने के कारण यह खदान बी–2 श्रेणी की मानी गयी।

2. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से आवेदक – मेसर्स रेवतपुर ब्रिक्स अर्थ क्ले क्वारी एण्ड फिक्स चिमनी ब्रिक प्लांट (प्रो.– श्री सुरेन्द्र कुमार जायसवाल) को ग्राम–रेवतपुर, तहसील–राजपुर, जिला–बलरामपुर–रामानुजगंज के खसरा क्रमांक 321 एवं 1344 / 34 में स्थित मिट्टी उत्खनन (गौण खनिज) खदान, कुल क्षेत्रफल–1.02 हेक्टेयर, क्षमता – 400 घनमीटर (ईंट उत्पादन क्षमता 4,00,000 नग) प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति दिए जाने की अनुशंसा की गई।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 19 / 12 / 2022 को संपन्न 135वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। **प्राधिकरण द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया:–**

1. समिति की अनुशंसा को स्वीकार करते हुये आवेदक – मेसर्स रेवतपुर ब्रिक्स अर्थ क्ले क्वारी एण्ड फिक्स चिमनी ब्रिक प्लांट (प्रो.– श्री सुरेन्द्र कुमार जायसवाल) को निम्न अतिरिक्त शर्त के अधीन पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने का निर्णय लिया गया:–

   "लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी तथा सी.ई.आर. के तहत् किये जाने वाले वृक्षारोपण की जानकारी जियोटेग (Geotag) फोटोग्राफ्स सहित अर्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित करते हुये प्रस्तुत किया जाए।"

   साथ ही समिति द्वारा निहित किये गये शर्तों का पालन सुनिश्चित किया जाए। पालन नहीं किये जाने की स्थिति में विधिवत् वैधानिक कार्यवाही की जाएगी।

परियोजना प्रस्तावक को सशर्त पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किया जाए।

7. मेसर्स श्री राजा बाबू साहू (कुडेली आर्डिनरी स्टोन क्वारी), ग्राम–कुडेली, तहसील–बैकुण्ठपुर, जिला–कोरिया (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1579)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए / सीजी / एमआईएन / 201008 / 2021, दिनांक 02 / 03 / 2021।

प्रस्ताव का विवरण – यह प्रस्तावित साधारण पत्थर (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम–कुडेली, तहसील–बैकुण्ठपुर, जिला–कोरिया स्थित खसरा क्रमांक 934

एवं 939, कुल क्षेत्रफल–2 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता–13,737.6 टन प्रतिवर्ष है।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 363वीं बैठक दिनांक 24/03/2021:

समिति द्वारा प्रकरण की नस्ती एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण तथा **तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:–**

1. ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाए।
2. यदि पूर्व में आवेदित स्थल पर खनन हेतु राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ अथवा जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (डी.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति दी गई हो, तो पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति एवं अधिरोपित शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत की जाए। साथ ही वृक्षारोपण की अद्यतन स्थिति की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत की जाए।
3. यदि खदान पूर्व से संचालित है, तो विगत वर्षों में किए गए उत्खनन की वास्तविक मात्रा (वित्तीय वर्ष) की जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित करा कर प्रस्तुत की जाए।
4. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु विस्तृत प्रस्ताव पूर्ण विवरण के साथ प्रस्तुत किया जाए।
5. परियोजना प्रस्तावक को उपरोक्त समस्त पूर्ण जानकारी / दस्तावेज (अद्यतन फोटोग्राफ्स) के साथ प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के पत्र एवं ई–मेल क्रमशः दिनांक 09/04/2021 एवं 27/04/2021 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ब) समिति की 367वीं बैठक दिनांक 04/05/2021:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री शाहिद अली, अधिकृत प्रतिनिधि विडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:–** इस खदान को पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।
2. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत कुडेली का दिनांक 28/02/2019 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
3. **उत्खनन योजना** – क्वारी प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो खनि अधिकारी, जिला–कोरिया के ज्ञापन क्रमांक 243/खनिज/उत्ख.यो.अनु./2021 कोरिया बैकुण्ठपुर, दिनांक 12/02/2021 द्वारा अनुमोदित है।
4. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–कोरिया के ज्ञापन क्रमांक 245/खनिज/उ.प./2021 कोरिया बैकुण्ठपुर, दिनांक 12/02/2021 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 1 खदान, क्षेत्रफल 1.24 हेक्टेयर (मिट्टी खदान) होना बताया गया है, जिसमें केवल विचाराधीन खदान के लीज सीमा से 500 मीटर के परिधि में

अवस्थित खदानों का विवरण दिया गया है। उक्त प्रमाण पत्र से यह स्पष्ट नहीं हो रहा है कि उक्त खदानों के 500 मीटर के भीतर अन्य खदान है अथवा नहीं? ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 (यथा संशोधित) में परिभाषित क्लस्टर अनुसार "कोई क्लस्टर उस समय बनाया जाएगा, जब एक लीज के परिसरों के बीच दूरी उस सदृश खनिज क्षेत्र में अन्य पट्टे के परिसर से 500 मीटर से कम है।" अर्थात् क्लस्टर हेतु होमोजिनियस मिनरल क्षेत्र में विचाराधीन खदान के लीज सीमा से 500 मीटर के भीतर आने वाले सभी खदानों को शामिल करते हुए तथा इस प्रकार शामिल खदानों के लीज सीमा के 500 मीटर के भीतर आने वाले अन्य सभी खदानों को (क्लस्टर में खदानों को वहाँ तक शामिल किया जाए, जहाँ तक 500 मीटर की दूरी में कोई खदान अवस्थित न हों) शामिल किया जाना चाहिए।

5. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाए** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–कोरिया के ज्ञापन क्रमांक 244/खनिज/उ.प./2021 कोरिया बैकुण्ठपुर, दिनांक 12/02/2021 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे धार्मिक स्थल, मंदिर, मस्जिद, मरघट, अस्पताल, स्कूल, पुल, पुलिया, रेल लाईन, नहर, स्कूल, बांध, एनीकट एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।

6. **एल.ओ.आई. संबंधी विवरण** – एल.ओ.आई. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–कोरिया के ज्ञापन क्रमांक 3709/खनिज/उ.प./कुडेली/2020 कोरिया बैकुण्ठपुर, दिनांक 24/12/2020 द्वारा जारी की गई, जिसकी वैधता जारी दिनांक से 1 वर्ष की अवधि तक है।

7. **भू–स्वामित्व** – भूमि श्रीमती राजकुमारी के नाम पर है। उत्खनन हेतु भूमि स्वामी का सहमति पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है।

8. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** – वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

9. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, कोरिया वनमण्डल, बैकुण्ठपुर के ज्ञापन क्रमांक/मा.चि./2715 बैकुण्ठपुर, दिनांक 16/04/2018 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र वन क्षेत्र की सीमा से 0.75 कि.मी. की दूरी पर है।

10. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम–कुडेली 1.5 कि.मी., स्कूल ग्राम–कुडेली 1.5 कि.मी. एवं अस्पताल ग्राम–कुडेली 1.5 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 12 कि.मी. दूर है।

11. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

12. **खनन संपदा एवं खनन का विवरण** – जियोलॉजिकल रिजर्व 3,24,000 टन, माईनेबल रिजर्व 1,76,272 टन एवं रिकव्हरेबल रिजर्व 1,67,458 टन है। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 6,255 वर्गमीटर है। ओपन कास्ट सेमी मेकेनाईज्ड विधि से उत्खनन किया जाएगा। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 7.5 मीटर है। लीज क्षेत्र में

ऊपरी मिट्टी की मोटाई 1.5 मीटर एवं मात्रा 19,867.5 घनमीटर है, जिसमें 6,000 घनमीटर मिट्टी को सीमा पट्टी (7.5 मीटर) में फैलाकर वृक्षारोपण के लिए उपयोग किया जाएगा तथा शेष मिट्टी को ईंट निर्माण इकाई को विक्रय किया जाएगा। बेंच की ऊंचाई 1.5 मीटर एवं चौड़ाई 1.5 मीटर है। खदान की संभावित आयु 13 वर्ष है। लीज क्षेत्र में क्रशर स्थापित किया जाएगा, जिसका क्षेत्रफल 500 वर्गमीटर है। जैक हैमर से ड्रिलिंग एवं ब्लास्टिंग किया जाएगा। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाएगा। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:–

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)	वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
प्रथम	13,669	छष्टम	13,507
द्वितीय	13,511	सप्तम	13,608
तृतीय	13,507	अष्ठम	13,547
चतुर्थ	13,547	नवम	13,527
पंचम	13,567	दशम	13,738

नोटः तालिका में दशमलव के बाद के अंकों को राउण्डऑफ किया गया है।

13. **जल आपूर्ति** – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 3 घनमीटर प्रतिदिन होगी। जल की आपूर्ति ग्राम पंचायत के टैंकर के माध्यम से की जाएगी। जल की आपूर्ति हेतु ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया जायेगा।

14. **वृक्षारोपण कार्य** – लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में 1,000 नग वृक्षारोपण किया जाएगा।

15. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:–

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	**CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)**
66.13	2%	1.32	Following activities at Nearby Government High School, **Village-Kudeli**	
			Rain Water Harvesting System	0.80
			Potable Drinking Water Facility	0.15
			Running Water Facility for Toilets	0.25
			Plantation with Fencing	0.15
			Total	**1.35**

16. **खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन** – लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में उत्खनन कार्य नहीं किया गया है।

17. प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि लीज क्षेत्र में प्रस्तावित क्रशर का क्षेत्रफल 800 वर्गमीटर है। परंतु प्रस्तुत माईनिंग प्लान में

लीज क्षेत्र में प्रस्तावित क्रशर का क्षेत्रफल 500 वर्गमीटर बताया गया। अतः उक्त को लेण्ड यूस पैटर्न (Land use pattern) में समावेश करते हुये संशोधित अनुमोदित माईनिंग प्लान प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

18. समिति का मत है कि लीज क्षेत्र से निकलने वाली ऊपरी मिट्टी को ईट निर्माण इकाई को विक्रय किये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त किया जाना आवश्यक है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:–

1. पूर्व में दिये हुये विवरण अनुसार संशोधित अनुमोदित माईनिंग प्लान प्रस्तुत किया जाए।
2. प्रस्तुत 500 मीटर के प्रमाण पत्र से यह स्पष्ट नहीं हो रहा है कि उक्त खदानों के 500 मीटर के भीतर अन्य खदान है अथवा नहीं? ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 (यथा संशोधित) में परिभाषित क्लस्टर अनुसार "कोई क्लस्टर उस समय बनाया जाएगा, जब एक लीज के परिसरों के बीच दूरी उस सदृश खनिज क्षेत्र में अन्य पट्टे के परिसर से 500 मीटर से कम है।" अर्थात् क्लस्टर हेतु होमोजिनियस मिनरल क्षेत्र में विचाराधीन खदान के लीज सीमा से 500 मीटर के भीतर आने वाले सभी खदानों को शामिल करते हुए तथा इस प्रकार शामिल खदानों के लीज सीमा के 500 मीटर के भीतर आने वाले अन्य सभी खदानों को (क्लस्टर में खदानों को वहाँ तक शामिल किया जाए, जहाँ तक 500 मीटर की दूरी में कोई खदान अवस्थित न हों) शामिल किया जाना चाहिए। अतः उपरोक्तानुसार प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाए।
3. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) से लीज क्षेत्र से निकलने वाली ऊपरी मिट्टी को ईट निर्माण इकाई को विक्रय किये जाने के संबंध अनुमति प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाए।
4. उत्खनन हेतु भूमि स्वामी का सहमति पत्र प्रस्तुत किया जाए।
5. जल आपूर्ति हेतु ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाए।
6. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु विस्तृत प्रस्ताव पूर्ण विवरण के साथ प्रस्तुत किया जाए।
7. परियोजना प्रस्तावक से उपरोक्त वांछित जानकारी प्राप्त होने पर आगामी कार्यवाही की जाएगी।

तदानुसार एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 02/06/2021 के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा जानकारी/दस्तावेज दिनांक 21/06/2021 को प्रस्तुत किया गया है।

(स) समिति की 380वीं बैठक दिनांक 23/07/2021:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर यह पाया गया कि

1. लेण्ड यूस पैटर्न (Land use pattern) में प्रस्तावित क्रशर का क्षेत्रफल 500 वर्गमीटर को समावेश करते हुये रिवाईज्ड क्वारी प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो खनि अधिकारी, जिला–कोरिया के ज्ञापन क्रमांक 761/खनिज/उत्ख.यो.अनु/2021 कोरिया बैकुण्ठपुर, दिनांक 31/05/2021 द्वारा अनुमोदित है।

2. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–कोरिया के ज्ञापन क्रमांक 913/खनिज/उ.प./2021 कोरिया बैकुण्ठपुर, दिनांक 17/06/2021 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 1 (मिट्टी खदान) खदान, क्षेत्रफल 1.24 होना बताया गया है, जिसमें क्षेत्रफल का मात्रक (एरिया यूनिट) दर्शित नहीं किया गया है, जिसमें केवल विचाराधीन खदान के लीज सीमा से 500 मीटर के परिधि में अवस्थित खदानों का विवरण दिया गया है। उक्त प्रमाण पत्र से यह स्पष्ट नहीं हो रहा है कि उक्त खदानों के 500 मीटर के भीतर अन्य खदान है अथवा नहीं? ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 (यथा संशोधित) में परिभाषित क्लस्टर अनुसार "कोई क्लस्टर उस समय बनाया जाएगा, जब एक लीज के परिसरों के बीच दूरी उस सदृश खनिज क्षेत्र में अन्य पट्टे के परिसर से 500 मीटर से कम है।" अर्थात् क्लस्टर हेतु होमोजिनियस मिनरल क्षेत्र में विचाराधीन खदान के लीज सीमा से 500 मीटर के भीतर आने वाले सभी खदानों को शामिल करते हुए तथा इस प्रकार शामिल खदानों के लीज सीमा के 500 मीटर के भीतर आने वाले अन्य सभी खदानों को (क्लस्टर में खदानों को वहाँ तक शामिल किया जाए, जहाँ तक 500 मीटर की दूरी में कोई खदान अवस्थित न हो) शामिल किया जाना चाहिए।

3. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) से लीज क्षेत्र से निकलने वाली ऊपरी मिट्टी को ईंट निर्माण इकाई को विक्रय किये जाने के संबंध अनुमति प्राप्त नहीं होने के कारण वर्तमान में परियोजना प्रस्तावक द्वारा उत्खनन के दौरान निकलने वाली ऊपरी मिट्टी 19,867.5 घनमीटर में से 6,000 घनमीटर ऊपरी मिट्टी को 7.5 मीटर (माईन बाउण्ड्री) क्षेत्र में वृक्षारोपण के लिए उपयोग तथा शेष 13,867.5 घनमीटर ऊपरी मिट्टी को श्री विवेक राठौर एवं श्री मयंक राठौर की समीपस्थ भूमि पर सक्षम प्राधिकारी से अनुमति उपरांत भंडारित किया जायेगा। ऊपरी मिट्टी को भंडारित कर, वृक्षारोपण करने हेतु श्री विवेक राठौर एवं श्री मयंक राठौर से सहमति ली गई है। उक्त का समावेश संशोधित क्वारी प्लान में किया गया है।

4. उत्खनन हेतु भूमि स्वामी का सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया है।

5. जल आपूर्ति हेतु ग्राम पंचायत कुड़ेली का दिनांक 09/04/2021 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

6. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु विस्तृत प्रस्ताव पूर्ण विवरण के साथ प्रस्तुत किया गया है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक को पूर्व में दिये विवरण अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य खदानों संबंधी जानकारी प्रस्तुत किये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 18/08/2021 के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा जानकारी/दस्तावेज दिनांक 11/10/2021 को प्रस्तुत किया गया है।

नवीन गठित राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति, छत्तीसगढ़ के आदेशानुसार, परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 06/01/2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(द) समिति की 393वीं बैठक दिनांक 11/01/2022:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री राजा बाबू, प्रोपराईटर उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–कोरिया के ज्ञापन क्रमांक 1414/खनिज/उ.प./2021 कोरिया बैकुण्ठपुर, दिनांक 07/10/2021 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 1 खदान, क्षेत्रफल 1.24 हेक्टेयर है। जो क्लस्टर माईनिंग के प्रावधानों को आकर्षित करता है। तदानुसार प्रकरण को मूल्यांकन किये जाने हेतु समिति द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 (यथा संशोधित) के प्रावधानों के अनुसार प्रकरण का परीक्षण किया जाना आवश्यक है। समिति के संज्ञान में यह तथ्य आया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत गूगल मैप में आवेदित खदान के 500 मीटर के भीतर 1 खदान के अतिरिक्त अन्य खदानें भी प्रतिपादित होना पाया गया। अतः उक्त के संबंध अन्य खदानें डि–नोटिफाईड (De-notified) है अथवा नहीं? के संबंध में खनिज विभाग से प्रमाणिक जानकारी प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
2. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–कोरिया के ज्ञापन दिनांक 24/12/2020 द्वारा जारी एल.ओ.आई. की अवधि 1 वर्ष हेतु वैध थी। एल.ओ.आई. की वैधता वृद्धि संबंधी प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
3. ऊपरी मिट्टी के भंडारण के संबंध में प्रस्तुत सहमति पत्र में गवाहों के नाम एवं हस्ताक्षर सहित नोटरी से सत्यापित नहीं है।
4. सी.ई.आर. का विस्तृत प्रस्ताव एवं प्रस्तावित स्कूल के प्राचार्य (Principal) का सहमति पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
5. लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में एवं सीईआर के तहत् वृक्षारोपण हेतु पौधों का रोपण, फेंसिंग, खाद एवं सिंचाई तथा रख–रखाव के लिए 5 वर्षों का घटकवार व्यय का विवरण विस्तृत प्रस्ताव सहित प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
6. अनुमोदित माईनिंग प्लान अनुसार बेंच की ऊंचाई 1.5 मीटर एवं चौड़ाई 1.5 मीटर है। समिति का मत है कि खदान में सुरक्षा की दृष्टिकोण से बेंच की ऊंचाई एवं चौड़ाई में स्पष्टीकरण लिया जाना आवश्यक है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:–

1. गूगल मैप में आवेदित खदान के 500 मीटर के भीतर 1 खदान के अतिरिक्त अन्य खदानें भी प्रतिपादित होना पाया गया। अतः उक्त के संबंध अन्य खदाने डि–नोटिफाईड (De-notified) है अथवा नहीं? के संबंध में खनिज विभाग से प्रमाणिक जानकारी प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाए।
2. एल.ओ.आई. की वैधता वृद्धि संबंधी प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाए।
3. ऊपरी मिट्टी के भंडारण के संबंध में प्रस्तुत सहमति पत्र में गवाहो के नाम एवं हस्ताक्षर सहित नोटरी से सत्यापित कराकर प्रस्तुत किया जाए।
4. सी.ई.आर. का विस्तृत प्रस्ताव एवं प्रस्तावित स्कूल के प्राचार्य (Principal) का सहमति पत्र प्रस्तुत किया जाए।
5. लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में एवं सीईआर के तहत् वृक्षारोपण हेतु पौधों का रोपण, फेंसिंग, खाद एवं सिंचाई तथा रख–रखाव के

लिए 5 वर्षों का घटकवार व्यय का विवरण विस्तृत प्रस्ताव सहित प्रस्तुत किया जाए।

6. खदान में सुरक्षा की दृष्टिकोण से बेंच की ऊंचाई एवं चौड़ाई में स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया जाए।

उपरोक्त वांछित जानकारी/दस्तावेज प्राप्त होने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

तदानुसार एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 15/02/2022 एवं 20/05/2022 के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा जानकारी/दस्तावेज दिनांक 10/10/2022 को प्रस्तुत किया गया है।

(इ) समिति की 431वीं बैठक दिनांक 28/10/2022:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. गूगल मैप में आवेदित खदान के 500 मीटर के भीतर 1 खदान के अतिरिक्त अन्य खदानें भी प्रतिपादित होना पाया गया। उक्त के संबंध परियोजना प्रस्तावक का कथन है कि आवेदित खदान के 500 मीटर के भीतर 1 खदान के अतिरिक्त अन्य कोई भी खदान प्रतिपादित नहीं है। तत्संबंध में खनिज विभाग से प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत की जा चुकी है, जिसके अनुसार कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–कोरिया के ज्ञापन क्रमांक 1414/खनिज/उ.प./2021 कोरिया बैकुण्ठपुर, दिनांक 07/10/2021 द्वारा जारी संशोधित प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 1 खदान, क्षेत्रफल 1.24 हेक्टेयर है।

2. एल.ओ.आई. **संबंधी विवरण** – एल.ओ.आई. छत्तीसगढ़ शासन, खनिज साधन विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर के पृ. ज्ञापन क्रमांक 5138/खनि–2/न.क्र. 36/2022 नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 03/10/2022 द्वारा जारी की गई है। तत्पश्चात् एल.ओ.आई. की वैधता वृद्धि बाबत् न्यायालय संचालक भौमिकी तथा खनिकर्म, नवा रायपुर अटल नगर के पुनरीक्षण प्रकरण क्रमांक 36/2022 द्वारा जारी पारित आदेश दिनांक 30/09/2022 की प्रति प्रस्तुत की गई है जिसके अनुसार "**विवेचना के आधार पर पुनरीक्षण प्रकरण स्वीकार करते हुये, यह निर्देशित किया जाता है कि छत्तीसगढ़ गौण खनिज, 2015 के नियम 42(5) परंतु के तहत् उक्त प्रकरण में पर्यावरण स्वीकृति प्राप्त होने उपरांत उत्खनन पट्टा स्वीकृति की कार्यवाही पूर्ण करने हेतु अतिरिक्त समयावधि प्रदान करते हुए प्रकरण कलेक्टर, जिला कोरिया को प्रत्यावर्तित किया जाता है।**" होना बताया गया है।

3. ऊपरी मिट्टी के भंडारण के संबंध में प्रस्तुत सहमति पत्र में गवाहो के नाम एवं हस्ताक्षर सहित नोटरी से सत्यापित कराकर शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

4. परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु निम्नानुसार संशोधित विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:–

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	**CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)**
67.17	2%	1.34	Following activities at Nearby Government Primary Kanya School, **Village-Kudeli**	
			Rain Water Harvesting System	0.40
			Potable Drinking Water Facility	0.40
			Running Water Facility for Toilets	0.30
			Plantation with Fencing	0.25
			Total	**1.35**

5. प्रस्तावित स्कूल के प्राचार्य (Principal) का सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया है।

6. सी.ई.आर. के अंतर्गत स्कूल परिसर के भीतर (आंवला, बड़ पीपल, नीम, आम, अर्जुन, बेल आदि) वृक्षारोपण हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 20 नग पौधों के लिए राशि 1,000 रूपये, फेंसिंग के लिए राशि 11,500 रूपये, खाद के लिए राशि 200 रूपये, सिंचाई तथा रख–रखाव आदि के लिए राशि 12,000 रूपये, इस प्रकार आगामी 5 वर्ष में कुल राशि 24,700 रूपये हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है।

7. लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में (आंवला, बड़ पीपल, नीम, आम, अर्जुन, बेल आदि) वृक्षारोपण हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 1,000 नग पौधों के लिए राशि 50,000 रूपये, फेंसिंग के लिए राशि 63,200 रूपये, खाद के लिए राशि 10,000 रूपये, सिंचाई तथा रख–रखाव आदि के लिए राशि 1,80,000 रूपये, आगामी 5 वर्ष में कुल राशि 3,04,000 रूपये हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है।

8. खदान में सुरक्षा की दृष्टिकोण से बेंच की ऊंचाई एवं चौड़ाई में स्पष्टीकरण के संबंध में परियोजना प्रस्तावक का कथन है कि **CGMMR 2015** के नियम 61(02) के नियम का पालन करते हुये बेंच की ऊंचाई एवं चौड़ाई 1.5 मीटर रखा गया है।

9. समिति का मत है कि सी.ई.आर. एवं वृक्षारोपण कार्य के मॉनिटरिंग एवं पर्यवेक्षण हेतु त्रि–पक्षीय समिति (प्रोपराईटर/प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत के पदाधिकारी/प्रतिनिधि एवं जिला प्रशासन या छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के पदाधिकारी/प्रतिनिधि) गठित किया जाना आवश्यक है। साथ ही सी.ई.आर. एवं वृक्षारोपण का कार्य पूर्ण किये जाने के उपरांत गठित त्रि–पक्षीय समिति से सत्यापित कराया जाना आवश्यक है।

10. माननीय एन.जी.टी., प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली द्वारा सत्येंद्र पाण्डेय विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ओरिजनल एप्लिकेशन नं. 186 ऑफ 2016 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में मुख्य रुप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है:–

a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.

b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा **विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–**

1. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–कोरिया के ज्ञापन क्रमांक 1414/खनिज/उ.प./2021 कोरिया बैकुण्ठपुर, दिनांक 07/10/2021 द्वारा जारी संशोधित प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 1 खदान, क्षेत्रफल 1.24 हेक्टेयर है। आवेदित खदान (ग्राम–कुडेली) का क्षेत्रफल 2 हेक्टेयर है। इस प्रकार आवेदित खदान (ग्राम–कुडेली) को मिलाकर कुल रकबा 3.24 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर या उससे कम होने के कारण यह खदान बी–2 श्रेणी की मानी गयी।

2. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से आवेदक – मेसर्स श्री राजा बाबू साहू (कुडेली आर्डिनरी स्टोन क्वारी) को ग्राम–कुडेली, तहसील–बैकुण्ठपुर, जिला–कोरिया के खसरा क्रमांक 934 एवं 939 में स्थित साधारण पत्थर (गौण खनिज) खदान, कुल क्षेत्रफल–2 हेक्टेयर, क्षमता–13,737 टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति दिए जाने की अनुशंसा की गई।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 19/12/2022 को संपन्न 135वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। **प्राधिकरण द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया:–**

1. समिति की अनुशंसा को स्वीकार करते हुये आवेदक – मेसर्स श्री राजा बाबू साहू (कुडेली आर्डिनरी स्टोन क्वारी) को निम्न अतिरिक्त शर्त के अधीन पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने का निर्णय लिया गया:–

   "लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी तथा सी.ई.आर. के तहत किये जाने वाले वृक्षारोपण की जानकारी जियोटेग (Geotag) फोटोग्राफ्स सहित अर्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित करते हुये प्रस्तुत किया जाए।"

   साथ ही समिति द्वारा निहित किये गये शर्तों का पालन सुनिश्चित किया जाए। पालन नहीं किये जाने की स्थिति में विधिवत् वैधानिक कार्यवाही की जाएगी।

परियोजना प्रस्तावक को सशर्त पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किया जाए।

8. **मेसर्स श्री मिनरल्स (प्रो.– श्री कमलेश कुमार सिंह, पड़रामटोला क्वार्ट्ज क्वारी), ग्राम–पड़रामटोला, तहसील–छुरिया, जिला–राजनांदगांव (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1944)**

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 257159/2022, दिनांक 22/02/2022 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ऑनलाईन आवेदन में कमियाँ होने से ज्ञापन दिनांक 08/03/2022 द्वारा जानकारी प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा वांछित जानकारी दिनांक 30/04/2022 को ऑनलाईन प्रस्तुत की गई।

प्रस्ताव का विवरण – पूर्व से संचालित क्वॉर्ट्ज क्वारी (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम–पड़रामटोला, तहसील–छुरिया, जिला–राजनांदगांव स्थित पार्ट ऑफ खसरा क्रमांक 273, कुल क्षेत्रफल–5 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता–12,985 टन (4,900 घनमीटर) प्रतिवर्ष है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 22/08/2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 420वीं बैठक दिनांक 23/08/2022:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री संतोष कुमार तिवारी, अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:–**
   i. पूर्व में क्वॉर्टज खदान पार्ट ऑफ खसरा क्रमांक 273, कुल क्षेत्रफल–5 हेक्टेयर, क्षमता–12,985 टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, जिला–राजनांदगांव द्वारा दिनांक 19/09/2018 को जारी की गई। यह स्वीकृति जारी दिनांक से दिनांक 18/09/2021 तक वैध थी।
   ii. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी प्रस्तुत की गई है।
   iii. पर्यावरणीय स्वीकृति दिनांक 19/09/2018 को जारी होने के उपरांत कार्यालय कलेक्टर (खनिज), जिला–राजनांदगांव के ज्ञापन क्रमांक/995/ख.लि.–01/2021 राजनांदगांव, दिनांक 27/08/2021 द्वारा उत्खनिपट्टा स्वीकृत क्षेत्र पर कार्य प्रारंभ करने की अनुमति प्रदान की गई। इस संबंध में परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि चुंकि कार्य प्रारंभ करने की अनुमति उपरांत जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 18/09/2021 को समाप्त होने के कारण आवेदित क्षेत्र पर उत्खनन कार्य प्रारंभ ही नहीं किया गया है।

2. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत केशोटोला का दिनांक 18/12/2003 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

3. **उत्खनन योजना** – क्वारी प्लान विथ क्वारी क्लोजर प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो संयुक्त संचालक (खनिज प्रशासन), संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, जिला–रायपुर के ज्ञापन क्रमांक 3395/जियोलॉजी(जे.डी.)/माईनिंग स्कीम/क्वार्टज/एफ.नं. 1/2018 नया रायपुर, दिनांक 25/04/2018 द्वारा अनुमोदित है।

4. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनि शाखा), जिला–राजनांदगांव के ज्ञापन क्रमांक /761/ख.लि.02/2022 राजनांदगांव, दिनांक 18/04/2022 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य खदानों की संख्या निरंक है।

5. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाए** – कार्यालय कलेक्टर (खनि शाखा), जिला–राजनांदगांव के ज्ञापन क्रमांक /761/ख.लि. 02/2022 राजनांदगांव, दिनांक 18/04/2022 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे रोड, पुल, रेललाईन, नहर, बांध, एनीकट, भवन, स्कूल, अस्पताल, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, दार्शनिक स्थल एवं प्राकृतिक संरचानाए जैसे नदी, नाला, इत्यादि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।

6. **भूमि एवं लीज का विवरण** – यह शासकीय भूमि है। लीज मेसर्स श्री मिनरल्स, प्रो.– श्री कमलेश कुमार सिंह के नाम पर है। लीज 50 वर्षो अर्थात् दिनांक 12/02/2021 से 11/02/2071 तक की अवधि हेतु वैध है।

7. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** – वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

8. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – कार्यालय वनमण्डल अधिकारी, राजनांदगांव वनमण्डल, जिला–राजनांदगांव के ज्ञापन क्रमांक/मा.वि. /10–1/7683 राजनांदगांव, दिनांक 09/07/2018 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र निकटतम वन क्षेत्र की सीमा से 1.298 कि.मी. की दूरी पर है।

9. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम–पड़रामटोला 100 मीटर, स्कूल ग्राम–पड़रामटोला 4.35 कि.मी. एवं अस्पताल छुरिया 4.5 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 12 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 800 मीटर दूर है। नाला 110 मीटर दूर है।

10. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

11. **खनन संपदा एवं खनन का विवरण** – जियोलॉजिकल रिजर्व 7,28,750 टन (2,75,000 घनमीटर) एवं माईनेबल रिजर्व 5,48,285 टन (2,06,900 घनमीटर) है। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 8,130 वर्गमीटर है। ओपन कास्ट मैनुअल विधि से उत्खनन किया जाएगा। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 30 मीटर है। लीज क्षेत्र में ऊपरी मिट्टी की मोटाई 0.5 मीटर एवं मात्रा 4,250 घनमीटर है। इस मिट्टी को सीमा पट्टी (7.5 मीटर) में फैलाकर वृक्षारोपण के लिए उपयोग किया जाएगा। बेंच की ऊंचाई 1.5 मीटर एवं चौड़ाई 1.5 मीटर है। खदान की संभावित आयु 43 वर्ष है। लीज क्षेत्र में क्रशर स्थापित नहीं किया जाएगा। ड्रिलिंग एवं ब्लास्टिंग नहीं किया जाएगा। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाएगा। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:–

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
प्रथम	12,985
द्वितीय	12,720
तृतीय	12,455

चतुर्थ	12,985
पंचम	12,455

12. **जल आपूर्ति** – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 3 घनमीटर प्रतिदिन होती है। जल की आपूर्ति बोरवेल के माध्यम से की जाती है। इस बाबत् सेन्ट्रल ग्राउण्ड वॉटर अथॉरिटी की अनुमति प्राप्त कर प्रस्तुत किया गया है।

13. **वृक्षारोपण कार्य** – लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में 1,000 नग वृक्षारोपण किया जाएगा। प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार पौधों के लिए राशि 60,000 रूपये, फेंसिंग के लिए राशि 25,000 रूपये, खाद, सिंचाई के लिए राशि 1,00,000 रूपये, रख–रखाव आदि के लिए राशि 1,20,000 रूपये, इस प्रकार कुल राशि 3,05,000 रूपये 05 वर्षों हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है।

14. **खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन** – लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में उत्खनन कार्य नहीं किया गया है।

15. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई. आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:–

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
40	2%	0.80	Following activities at, **Village- Padramtola**	
			Pavitra Van Nirman	1.06
			Total	**1.06**

सी.ई.आर. के अंतर्गत "पवित्र वन निर्माण" के तहत् (नीम एवं आम) वृक्षारोपण हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 500 नग पौधों के लिए राशि 37,500 रूपये, फेंसिंग के लिए राशि 25,000 रूपये, सिंचाई, खाद के लिए राशि 20,000 रूपये तथा रख–रखाव आदि के लिए राशि 24,000 रूपये, इस प्रकार 5 वर्ष में कुल राशि 1,06,500 रूपये हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्राम पंचायत केशोटोला के सहमति उपरांत यथायोग्य स्थान (खसरा क्रमांक 225, क्षेत्रफल 1 एकड़) के संबंध में जानकारी प्रस्तुत की गई है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था कि:–

1. छत्तीसगढ़ आदर्श पुनर्वास नीति के तहत् स्थानीय लोगों को रोजगार दिये जाने हेतु शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।
2. परियोजना से जिन–जिन स्थलों से फ्युजिटिव डस्ट उत्सर्जन होगा, उन स्थलों पर नियमित जल छिड़काव की व्यवस्था किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।

3. माईनिंग लीज क्षेत्र के अंदर एवं बाहर सघन वृक्षारोपण किये जाने एवं रोपित पौधों का सरवाईवल रेट (Survival rate) 90 प्रतिशत सुनिश्चित किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।

4. परियोजना प्रस्तावक द्वारा मिनरल्स कनसेशन नियम (Minerals Conssesion Rule) के तहत् बाउण्ड्री पिल्लर्स द्वारा सीमांकन का कार्य सुनिश्चित किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।

5. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का वचन पत्र प्रस्तुत किया जाए कि उनके विरूद्ध इस परियोजना/खदान से संबंधित कोई न्यायालयीन प्रकरण देश के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में लंबित नहीं है।

6. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का नोटरी से सत्यापित शपथ पत्र प्रस्तुत किया जाए कि उसके विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना का.आ. 804(अ), दिनांक 14/03/2017 के अंतर्गत कोई उल्लंघन का प्रकरण लंबित नहीं है।

7. पर्यावरणीय स्वीकृति दिनांक 19/09/2018 को जारी होने के उपरांत कार्यालय कलेक्टर (खनिज), जिला–राजनांदगांव के ज्ञापन क्रमांक/995/ख.लि.–01/2021 राजनांदगांव, दिनांक 27/08/2021 द्वारा उत्खनिपट्टा स्वीकृत क्षेत्र पर कार्य प्रारंभ करने की अनुमति प्रदान की गई। इस संबंध में परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि चुंकि कार्य प्रारंभ करने की अनुमति उपरांत जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 18/09/2021 को समाप्त होने के कारण आवेदित क्षेत्र पर उत्खनन कार्य प्रारंभ ही नहीं किया गया है। कार्य प्रारंभ करने की अनुमति उपरांत पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के आधार पर उत्खनन कार्य करने अथवा नहीं किये जाने के संबंध में निरीक्षण एवं अन्य वस्तुस्थिति का निरीक्षण करने हेतु श्री एन.के. चंद्राकर, सदस्य, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति, छत्तीसगढ़ एवं खनि अधिकारी, जिला–राजनांदगांव को सम्मिलित करते हुये दो सदस्यीय उपसमिति गठित किये जाने का निर्णय लिया गया। दो सदस्यीय उपसमिति स्थल का निरीक्षण करेगी। प्रस्तावित लीज क्षेत्र में हरे–भरे वृक्ष अधिक है। लीज क्षेत्र में कितने वृक्ष हैं तथा खनन से कितने वृक्षों की कटाई करनी पड़ेगी यह भी निरीक्षण करेगें। वृक्षों को काटने से बचाये जा सकने की संभावना देखेंगे। प्रस्तावित सी.ई.आर. कार्य हेतु चिन्हांकित स्थल का भी अवलोकन किया जाए तथा अद्यतन स्थिति से अवगत कराते हुये कलरयुक्त फोटोग्राफ्स दिनांक सहित बिन्दुवार निरीक्षण प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाए। अतः उपसमिति से निरीक्षण प्रतिवेदन प्राप्त होने के उपरांत प्रस्ताव पर आगामी कार्यवाही की जाएगी।

तदानुसार एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 27/09/2022 द्वारा परियोजना प्रस्तावक को जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किये जाने हेतु एवं श्री एन.के. चन्द्राकर, सदस्य, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति तथा खनि अधिकारी, जिला–राजनांदगांव को स्थल निरीक्षण किये जाने हेतु सूचित किया गया। तदानुसार परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 27/10/2022 के माध्यम से जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया गया है तथा उपसमिति द्वारा दिनांक 10/10/2022 को स्थल निरीक्षण कर दिनांक 28/10/2022 को निरीक्षण प्रतिवेदन प्रेषित किया गया।

(ब) समिति की 431वीं बैठक दिनांक 28/10/2022:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. छत्तीसगढ़ आदर्श पुनर्वास नीति के तहत् स्थानीय लोगों को रोजगार दिये जाने हेतु शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

2. परियोजना से जिन–जिन स्थलों से फ्युजिटिव डस्ट उत्सर्जन होगा, उन स्थलों पर नियमित जल छिड़काव की व्यवस्था किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

3. माईनिंग लीज क्षेत्र के अंदर एवं बाहर सघन वृक्षारोपण किये जाने एवं रोपित पौधों का सरवाईवल रेट (Survival rate) 90 प्रतिशत सुनिश्चित किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

4. परियोजना प्रस्तावक द्वारा मिनरल्स कनसेशन नियम (Minerals Conssesion Rule) के तहत् बाउण्ड्री पिल्लर्स द्वारा सीमाकंन का कार्य सुनिश्चित किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

5. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उनके विरूद्ध इस परियोजना/खदान से संबंधित कोई न्यायालयीन प्रकरण देश के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में लंबित नहीं है।

6. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का नोटरी से सत्यापित शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उसके विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना का.आ. 804(अ), दिनांक 14/03/2017 के अंतर्गत कोई उल्लंघन का प्रकरण लंबित नहीं है।

7. उपसमिति द्वारा प्रेषित निरीक्षण प्रतिवेदन में उल्लेखित तथ्य निम्नानुसार है:–

   - "With reference to the letter No. 1009/SEAC CG/ Rajnandgaon/1944 Nava Raipur Atal Nagar Date 27/9/2022, a sub-committee of two members Shri N. K. Chandrakar, Member of SEAC and Mining Officer of Rajnandgaon was constituted to investigate the sanctioned lease of quartz quarry granted for a period of 50 years to Shri Kamlesh kumar Singh, Village- Padramtola ,Tehdil - Chhuria, District- Rajnandgaon for renewal of Environment Clearance.
   - The site was visited on date 10/10/2022 where Mining Inspector Rajnandgaon Mr. Neeraj Sharma, representative of project proponent Mr. Santosh Tiwari, revenue patwari and some villagers were present (Copy enclosed).
   - Primarily the inspection aimed to check whether mining executed before the Environmental Clearance and working permission from District Authority (Copy Enclosed), as per the record of Mining office Rajnandgaon no production has been made so far in the lease area neither pit pass has been issued yet to the leasee for the same. This which was found to be correct during site inspection also the same was verified in conversation with villagers.
   - The Project proponent was granted prospecting cum mining lease (pcml) by Mineral Resources Department, Government of Chhattisgarh; they prospected the area and completed the same within stipulated time which led to the issue of LOI by Directorate of Geology and Mining. On the basis of the same mining plan was submitted and previous Environmental Clearance was granted on19/09/2018 by DEIAA, Rajnandgaon.

- Another important issue of concern for SEAC, CG was to check for the suitability of corporate environment responsibility in the nearby area of lease. It was checked that village panchayat Padramtola has proposed for CER in khasra no. 225 with area of 0.404 ha. This area found suitable for plantation (mitra van).
- The lease area consists of 10 number trees of native species like senha (ordinary), parsa, babool etc. which are not in restricted list of forest department for cutting and their girth is not more than 30 cm, still the project proponent has agreed not to cut down the trees also in mining plan does mention that no trees would be cut down, rest of the area consists of seasonal shrubs and bushes of different types.
- The Project proponent is willing to comply all the terms and conditions of SEAC, Chhattisgarh (Affidavit enclosed), therefore it is recommended to sent this proposal to the SEIAA for further approval of Environment Clearance."

8. समिति का मत है कि सी.ई.आर. एवं वृक्षारोपण कार्य के मॉनिटरिंग एवं पर्यवेक्षण हेतु त्रि–पक्षीय समिति (प्रोपराईटर/प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत के पदाधिकारी/प्रतिनिधि एवं जिला प्रशासन या छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के पदाधिकारी/प्रतिनिधि) गठित किया जाना आवश्यक है। साथ ही सी.ई.आर. एवं वृक्षारोपण का कार्य पूर्ण किये जाने के उपरांत गठित त्रि–पक्षीय समिति से सत्यापित कराया जाना आवश्यक है।

9. माननीय एन.जी.टी., प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली द्वारा सत्येंद्र पाण्डेय विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ओरिजनल एप्लिकेशन नं. 186 ऑफ 2016 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में मुख्य रुप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है:–

   a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.

   b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–

1. कार्यालय कलेक्टर (खनि शाखा), जिला–राजनांदगांव के ज्ञापन क्रमांक /761/ख.लि.02/2022 राजनांदगांव, दिनांक 18/04/2022 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य खदानों की संख्या निरंक है। आवेदित खदान (ग्राम–पड़रामटोला) का क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर या उससे कम होने के कारण यह खदान बी–2 श्रेणी की मानी गयी।

2. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से आवेदक – मेसर्स श्री मिनरल्स (प्रो.– श्री कमलेश कुमार सिंह, पड़रामटोला क्वार्ट्ज क्वारी) को ग्राम–पड़रामटोला, तहसील–छुरिया, जिला–राजनांदगांव के खसरा क्रमांक 273 में स्थित क्वॉर्ट्ज (गौण खनिज) खदान, कुल क्षेत्रफल–5 हेक्टेयर, क्षमता–12,985 टन (4,900 घनमीटर) प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति दिए जाने की अनुशंसा की गई।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 19/12/2022 को संपन्न 135वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। प्राधिकरण द्वारा नोट किया गया कि पूर्व में कार्य प्रारंभ करने की अनुमति उपरांत पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के आधार पर उत्खनन कार्य करने अथवा नहीं किये जाने के संबंध में निरीक्षण एवं अन्य वस्तुस्थिति का निरीक्षण करने हेतु श्री एन.के. चंद्राकर, सदस्य, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति, छत्तीसगढ़ एवं खनि अधिकारी, जिला–राजनांदगांव को सम्मिलित करते हुये दो सदस्यीय उपसमिति द्वारा स्थल का निरीक्षण किया जाना था। इस संदर्भ में श्री एन.के. चंद्राकर, सदस्य, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति, छत्तीसगढ़ एवं खनि अधिकारी, जिला–राजनांदगांव के स्थान पर खनि निरीक्षक द्वारा निरीक्षण कर जाँच प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है। अतः **प्राधिकरण द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया** कि पूर्व में कार्य प्रारंभ करने की अनुमति उपरांत पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के आधार पर उत्खनन कार्य करने अथवा नहीं किये जाने के संबंध में निरीक्षण एवं अन्य वस्तुस्थिति का निरीक्षण करने हेतु डॉ. दीपक सिन्हा, सदस्य, राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण, छत्तीसगढ़ एवं श्री एन.के. चंद्राकर, सदस्य, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति, छत्तीसगढ़ तथा क्षेत्रीय अधिकारी, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, भिलाई–दुर्ग को सम्मिलित करते हुये तीन सदस्यीय उपसमिति गठित किये जाने का निर्णय लिया गया। तीन सदस्यीय उपसमिति स्थल का निरीक्षण करेगी। निरीक्षण के बिन्दु समिति द्वारा पूर्व निर्धारित अनुसार ही रहेंगे। उपसमिति से निरीक्षण प्रतिवेदन प्राप्त होने के उपरांत प्रस्ताव पर आगामी कार्यवाही की जाएगी।

डॉ. दीपक सिन्हा, सदस्य, राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण, छत्तीसगढ़ तथा श्री एन.के. चंद्राकर, सदस्य, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति, छत्तीसगढ़ एवं क्षेत्रीय अधिकारी, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, भिलाई–दुर्ग को स्थल निरीक्षण किये जाने हेतु सूचित किया जाए।

एजेण्डा आयटम क्रमांक–3 **परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रेषित वांछित जानकारी/दस्तावेज प्राप्त प्रकरणों में अवलोकन पश्चात् विचार कर पर्यावरणीय स्वीकृति / टीओआर / अन्य आवश्यक निर्णय लिया जाना।**

1. **मेसर्स जे.एस.डब्ल्यू. इस्पात स्पेशल प्रोडक्ट्स लिमिटेड, मोनेट रोड, ग्राम–कुरूद, मंदिर हसौद, तहसील व जिला–रायपुर**

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए /सीजी /एमआईएन / 287493/2022, दिनांक 06/08/2022। मेसर्स मोनेट इस्पात एण्ड एनर्जी लिमिटेड, मोनेट मार्ग, मंदिर हसौद, जिला–रायपुर को जारी पर्यावरणीय स्वीकृति को मेसर्स जे.एस.डब्ल्यू. इस्पात स्पेशल प्रोडक्ट्स लिमिटेड, मोनेट रोड, ग्राम–कुरूद, मंदिर हसौद, तहसील व जिला–रायपुर के नाम पर नामांतरित (Transfer) किये जाने हेतु आवेदन किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण –

1. यह खदान ग्राम–हाहालद्दी, तहसील–भानुप्रतापपुर, जिला–कांकेर के कुल लीज क्षेत्र 78.9 हेक्टेयर, आयरन ओर (मुख्य खनिज) उत्खनन खदान क्षमता–1,50,000 टन प्रतिवर्ष की है।

2. पूर्व में भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय, पर्यावरण भवन, नई दिल्ली के पत्र क्रमांक J-11015/294/2015-IA.II(M), दिनांक 17/05/2017 द्वारा कुल लीज क्षेत्र 78.9 हेक्टेयर, आयरन ओर (मुख्य खनिज) उत्खनन खदान क्षमता–1,50,000 टन प्रतिवर्ष हेतु मेसर्स मोनेट इस्पात एण्ड एनर्जी लिमिटेड के नाम से पर्यावरणीय स्वीकृति जारी की गई है।

3. मेसर्स मोनेट इस्पात एण्ड एनर्जी लिमिटेड को जारी पर्यावरणीय स्वीकृति को मेसर्स जे.एस.डब्ल्यू. इस्पात स्पेशल प्रोडक्ट्स लिमिटेड के नाम पर हस्तांतरण किये जाने बाबत् मेसर्स मोनेट इस्पात एण्ड एनर्जी लिमिटेड द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

4. मेसर्स जे.एस.डब्ल्यू. इस्पात स्पेशल प्रोडक्ट्स लिमिटेड द्वारा पूर्व में मेसर्स मोनेट इस्पात एण्ड एनर्जी लिमिटेड को जारी पर्यावरणीय स्वीकृति में अधिरोपित शर्तों का पालन किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarize undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

5. छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर अटल नगर के ज्ञापन क्रमांक 6203/टी.एस./सी.ई.सी.बी./2020 नवा रायपुर अटल नगर रायपुर, दिनांक 01/12/2021 द्वारा आयरन ओर (मुख्य खनिज) उत्खनन खदान क्षमता–1,50,000 टन प्रतिवर्ष के लिए जल एवं वायु सम्मति जारी की गई, जो जारी दिनांक से 1 वर्ष तक की अवधि हेतु वैध है।

6. मेसर्स मोनेट इस्पात एण्ड एनर्जी लिमिटेड एवं मेसर्स जे.एस.डब्ल्यू. इस्पात स्पेशल प्रोडक्ट्स लिमिटेड को जारी रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी की प्रति प्रस्तुत की गई है।

7. मेसर्स मोनेट इस्पात एण्ड एनर्जी लिमिटेड एवं मेसर्स जे.एस.डब्ल्यू. इस्पात स्पेशल प्रोडक्ट्स लिमिटेड द्वारा पॉवर ऑफ एटॉर्नी की प्रति प्रस्तुत की गई है।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 28/09/2022 को संपन्न 129वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती/दस्तावेज का अवलोकन किया गया। **प्राधिकरण द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि:–**

1. मेसर्स मोनेट इस्पात एण्ड एनर्जी लिमिटेड के नाम से जारी माईनिंग लीज डीड को मेसर्स जे.एस.डब्ल्यू. इस्पात स्पेशल प्रोडक्ट्स लिमिटेड के नाम पर हस्तांतरित किये जाने बाबत् सक्षम प्राधिकारी से संशोधित माईनिंग लीज डीड की प्रति प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाए।

2. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति में अधिरोपित शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत की जाए।

3. मेसर्स मोनेट इस्पात एण्ड एनर्जी लिमिटेड से मेसर्स जे.एस.डब्ल्यू. इस्पात स्पेशल प्रोडक्ट्स लिमिटेड के नाम पर किये जाने हेतु समस्त आवश्यक विधिक प्रमाण पत्र /दस्तावेज प्रस्तुत किया जाए।

उपरोक्त वांछित जानकारी/दस्तावेज प्राप्त होने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 21/10/2022 के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा जानकारी/दस्तावेज दिनांक 22/11/2022 को प्रस्तुत किया गया है।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 19/12/2022 को संपन्न 135वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती/दस्तावेज का अवलोकन किया गया। प्राधिकरण द्वारा नोट किया गया कि:–

1. मेसर्स मोनेट इस्पात एण्ड एनर्जी लिमिटेड के नाम से जारी माईनिंग लीज डीड को मेसर्स जे.एस.डब्ल्यू. इस्पात स्पेशल प्रोडक्ट्स लिमिटेड के नाम पर हस्तांतरित किये जाने बाबत् माईनिंग लीज डीड की प्रति प्राप्त कर प्रस्तुत की गई है, जिसके अनुसार लीज की वैधता दिनांक 06/01/2067 तक है।
2. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति में अधिरोपित शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत किया गया है।
3. मेसर्स जे.एस.डब्ल्यू. इस्पात स्पेशल प्रोडक्ट्स लिमिटेड के नाम से SECTION 13(5) OF THE COMPANIES ACT, 2013 के तहत् जारी रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज की प्रति प्रस्तुत की गई है।
4. मेसर्स मोनेट इस्पात एण्ड एनर्जी लिमिटेड से मेसर्स जे.एस.डब्ल्यू. इस्पात स्पेशल प्रोडक्ट्स लिमिटेड के नाम पर अंतरण किये जाने हेतु शासन द्वारा आदेश पत्र की प्रति प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

प्राधिकरण द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि मेसर्स मोनेट इस्पात एण्ड एनर्जी लिमिटेड से मेसर्स जे.एस.डब्ल्यू. इस्पात स्पेशल प्रोडक्ट्स लिमिटेड के नाम पर अंतरण किये जाने हेतु शासन द्वारा आदेश पत्र की प्रति प्रस्तुत किया जावें।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

2. मेसर्स घाँठाद्वारी सेण्ड स्टोन क्वारी (प्रो.– श्री मातादीन जायसवाल), ग्राम–घाँठाद्वारी, तहसील–करतला, जिला–कोरबा (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1552)

आवेदन – पूर्व में प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 198140/2021, दिनांक 13/02/2021 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने के

लिए आवेदन किया गया था। वर्तमान में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के परिपेक्ष्य में श्री राज किशोर चन्द्राकर द्वारा दिनांक 01/01/2022 को शिकायत प्रस्तुत किया गया है।

एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 28/06/2021 द्वारा मेसर्स घाँठाद्वारी सेण्ड स्टोन क्वारी (प्रो.– श्री मातादीन जायसवाल) की ग्राम–घाँठाद्वारी, तहसील–करतला, जिला–कोरबा के खसरा क्रमांक 425 में स्थित सेण्ड स्टोन (गौण खनिज) खदान, कुल क्षेत्रफल–2 हेक्टेयर, क्षमता – 33,037 टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किया गया है।

श्री राज किशोर चन्द्राकर द्वारा दिनांक 01/01/2022 के माध्यम से जारी पर्यावरणीय स्वीकृति को निरस्त एवं उत्पादन क्षमता बढ़ाने हेतु प्रस्तुत आवेदन का वैधानिक जाँच बाबत् पत्र प्रेषित किया गया है, जिसमें उल्लेखित तथ्य निम्नानुसार है:–

- आबादी, शैक्षणिक संस्थान, अस्पताल से नियमानुसार प्रतिबंधित दूरी कम है।
- खदान क्षेत्र से 10 कि.मी. परिधि क्षेत्र अंतर्गत आरक्षित/संरक्षित वन की सीमा है।
- खदान में 6 मीटर सीमित गहराई तक के लिए उत्खनन पट्टा स्वीकृत किया गया है। वर्तमान में प्रस्तुत माईनिंग प्लान में 4 मीटर गहराई पर उत्खनन किया जाना उल्लेखित है। जो कि कितने मीटर गहराई तक उत्खनन किया जाएगा स्पष्ट नहीं है।
- पट्टेदार द्वारा ओव्हर बर्डन को डम्प की ऊंचाई सतह से 1.5 मीटर तथा स्लोप 45^0 से अधिक ओव्हर बर्डन डम्प किया जाकर नियम विरूद्ध मिट्टी/मुरूम को क्रय किया जा रहा है। साथ ही वृक्षारोपण नहीं किया गया है।
- वर्षा जल से सतही जल स्त्रोत प्रभावित न हो, को रोकने के लिए रिटर्निंग वॉल तथा गारलेण्ड की व्यवस्था नहीं की गई है।
- लीज क्षेत्र के चारों तरफ 7.5 मीटर का सेफ्टी जोन नहीं बनाया गया है तथा 4 मीटर के भीतर वेस्ट डम्प किया जा रहा है।
- वर्ष 2016 में क्षमता 60,000 घनमीटर हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किया गया था, जिसे वर्ष 2021 में राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण द्वारा क्षमता 33,000 टन की अनुमति दिया गया है। पुनः पट्टेदार द्वारा क्षमता 2,00,000 टन के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन पत्र इसी वर्ष पुनः प्रस्तुत किया गया है, जो कि नियम विरूद्ध है।
- पट्टेदार द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति नियमों का पालन नहीं किया जा रहा है तथा बार–बार पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त की जा रही है, जो कि नियम विरूद्ध है। अतः जाँच कराई जाए एवं पर्यावरणीय स्वीकृति निरस्त किया जाए।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 25/02/2022 को संपन्न 118वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती/दस्तावेज का अवलोकन किया गया। **प्राधिकरण द्वारा विचार विमर्श उपरांत**

सर्वसम्मति से उपरोक्त शिकायत की जाँच करने हेतु डॉ. दीपक सिन्हा, सदस्य, राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण एवं श्री एन.के. चन्द्राकर, सदस्य, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति तथा क्षेत्रीय अधिकारी, क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, कोरबा को सम्मिलित करते हुये तीन सदस्यीय उपसमिति गठित किये जाने का निर्णय लिया गया। तीन सदस्यीय उपसमिति स्थल का निरीक्षण करेगी तथा अद्यतन स्थिति से अवगत करायेगी। अतः उपसमिति से जाँच प्रतिवेदन प्राप्त होने के उपरांत प्रस्ताव पर आगामी कार्यवाही की जाएगी।

एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 21/03/2022 द्वारा डॉ. दीपक सिन्हा, सदस्य, राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण एवं श्री एन.के. चन्द्राकर, सदस्य, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति तथा क्षेत्रीय अधिकारी, क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, कोरबा को स्थल निरीक्षण किये जाने हेतु सूचित किया गया। तदानुसार उपसमिति द्वारा दिनांक 24/03/2022 को स्थल निरीक्षण कर दिनांक 26/04/2022 को निरीक्षण प्रतिवेदन प्रेषित किया गया।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 11/05/2022 को संपन्न 122वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती/दस्तावेज का अवलोकन किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती/दस्तावेज/निरीक्षण प्रतिवेदन का अवलोकन किया गया। प्राधिकरण द्वारा नोट किया गया कि प्रेषित निरीक्षण प्रतिवेदन में उल्लेखित तथ्य निम्नानुसार हैः–

"निरीक्षण के समय एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ द्वारा गठित उपसमिति के तीन सदस्य डॉ. दीपक सिन्हा, सदस्य, एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ एवं श्री एन. के. चन्द्राकर, सदस्य, एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ तथा श्री अंकुर साहू, क्षेत्रीय अधिकारी, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, कोरबा के साथ–साथ श्री उत्तम खूंटे, खनि निरीक्षक, पट्टेदार श्री मातादीन जायसवाल एवं दो खनि सिपाही भी उपस्थित थे।

पत्र में उल्लेखित शिकायत का बिंदुवार विवरण एवं निरीक्षण जाँच में पाई गई जानकारी निम्नानुसार हैः–

1) **आबादी, शैक्षणिक संस्थान, अस्पताल से नियमानुसार प्रतिबंधित दूरी से कम है।**

   समिति द्वारा जाँच करने पर पाया गया है कि लीज क्षेत्र से समीपस्थ आबादी की दूरी लगभग 600 मीटर है, जो कि छत्तीसगढ़ गौण खनिज अधिनियम, 2015 (यथा संशोधित) के अनुसार आबादी शैक्षणिक संस्थान, अस्पताल से नियमानुसार प्रतिबंधित दूरी से अधिक है।

2) **खदान क्षेत्र से 10 कि.मी. परिधि क्षेत्र के अंतर्गत आरक्षित या संरक्षित वन की सीमा है।**

   समिति द्वारा जाँच करने पर पाया कि लीज क्षेत्र से वन भूमि दूरी लगभग 520 मीटर है, जो कि छत्तीसगढ़ गौण खनिज अधिनियम, 2015 (यथा संशोधित) पट्टेदार को आबंटित क्षेत्र, वन क्षेत्र की निर्धारित दूरी की सीमा के बाहर है।

3) **खदान में 6 मीटर सीमित गहराई तक के लिए उत्खनन पट्टा स्वीकृत किया गया है वर्तमान में प्रस्तुत माइनिंग प्लान में 4 मीटर गहराई तक उत्खनन किया जाना उल्लेखित है जो कि कितने मीटर गहराई तक उत्खनन किया जाएगा स्पष्ट नहीं है।**

पट्टेदार द्वारा प्रस्तुत अनुमोदित माईनिंग प्लान के अनुसार 15 मीटर गहराई तक उत्खनन करने की योजना का उल्लेख है निरीक्षण के समय पाया गया कि परियोजना प्रस्तावक को स्वीकृत उत्खनन पट्टा क्षेत्र एक छोटी पहाड़ीनुमा (small hillock) में अवस्थित क्षेत्र है। अतः योजना में प्रस्तावित गहराई न होकर ऊंचाई से सम्बंधित है। वर्तमान में स्वीकृत पट्टा क्षेत्र के एक छोटे से भाग में उत्खनन किया जा रहा है जो लगभग 15 मीटर है, माइंस एक्ट, 1952 के अनुसार 6 मीटर से अधिक गहराई खोदने पर सुरक्षा नियम लागू होता है। अतः उसके पालन सम्बन्धी शिकायत जाँच की कार्यवाही हेतु संचालनालय, भौमिकी एवं खनिकर्म, छत्तीसगढ़ / डीजीएमएस को लेख किया जाना उचित होगा।

4) **पट्टेदार द्वारा ओवर बर्डन डंप की ऊंचाई सतह से 1.5 मीटर तथा स्लोप 45 डिग्री से अधिक डंप किया जाकर नियम के विरुद्ध मिट्टी/मुरूम को क्रय किया जा रहा है साथ ही वृक्षारोपण नहीं किया गया है।**

यह शिकायत का बिंदु माइंस एक्ट एवं सेफ्टी रुल से सम्बंधित है। अतः उसकी जाँच की कार्यवाही हेतु संचालनालय, भौमिकी एवं खनिकर्म छत्तीसगढ/डीजीएमएस को लेख किया जाना उचित होगा।

समिति के समक्ष यह भी संज्ञान में आया कि पट्टेदार द्वारा निर्धारित बाउंड्री 7.5 मीटर वृक्षारोपण नहीं किया गया है, जो पर्यावरण नियमों के उल्लंघन है।

5) **वर्षा जल से सतही जल प्रभावित न हो को रोकने के लिए रिटर्निंग वाल तथा गारलैंड की व्यवस्था नहीं की गई है।**

स्वीकृत क्षेत्र पहाड़ी होने के कारण वर्षा जल सतह में आता है, रिटेनिंग वाल तथा गारलैंड बनाया जाना था, जो नहीं बनाया गया है। पर्यावरणीय स्वीकृति में निहित शर्त अनुसार गारलेण्ड ड्रेन एवं सेटलिंग पॉण्ड का निर्माण नहीं किया गया है।

पट्टेदार द्वारा समिति के समक्ष यह संज्ञान में लाया गया कि खनिज क्षेत्र के समीप ही एक गड्ढा बनाया गया है जिसमें वर्षा जल संचित होकर ग्राउंड वाटर रिचार्ज होता है।

6) **लीज क्षेत्र के चारो तरफ 7.5 मीटर का सेफ्टी जोन नहीं बनाया गया है तथा 4 मीटर के भीतर वेस्ट डंप किया जा रहा है।**

स्वीकृत लीज क्षेत्र में 4 मीटर के दूरी तक वेस्ट डंप नहीं होना पाया गया है, उत्खनन क्षेत्र में 7.5 मीटर की सेफ्टी जोन नहीं छोड़ा गया है।

7) **वर्ष 2016 में क्षमता 60,000 घनमीटर हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किया गया था, जिसे वर्ष 2021 में राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण द्वारा क्षमता 33,000 टन की अनुमति दिया गया था, पुनः**

पट्टेदार द्वारा क्षमता 2,00,000 टन के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन पत्र इस वर्ष पुनः प्रस्तुत किया गया है जो नियम विरुद्ध है।

खनिज अधिकारी कोरबा द्वारा प्राप्त जानकारी के आधार पर 2016 से आज दिनांक तक निर्धारित सीमा 60,000 टन प्रतिवर्ष एवं 33,037 टन प्रतिवर्ष से अधिक खनन का उल्लेख नहीं किया गया है लेकिन आबंटित क्षेत्र में लीज क्षेत्र के बाहर खुदाई के प्रमाण मिले है जिसके असेसेमेंट के लिए संचालनालय भौमिकी एवं खनिकर्म छत्तीसगढ़/डीजीएमएस को लेख किया जाना उचित होगा।

उपरोक्त जाँच के समय पर्यावरण सम्बंधित अन्य महत्वपूर्ण तथ्य जो उपसमिति के सदस्यों द्वारा उल्लेखित किया जाना आवश्यक समझा गया वो निम्नानुसार है:

- लीज क्षेत्र के चारो और केवल सीमा स्तम्भ स्थापित है। लीज क्षेत्र के चारों ओर नियमानुसार फेंसिंग कार्य नहीं किया गया है।
- 7.5 मीटर सीमा क्षेत्र के चारो ओर में वृक्षारोपण नहीं किया गया है।
- लीज क्षेत्र के आसपास निर्धारित सीमा के बाहर उत्खनन पाया गया है।

प्रतिवेदन आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।"

प्राधिकरण द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:–

1. बिन्दु क्रमांक 3 के परिपेक्ष्य में माइंस एक्ट, 1952 के अनुसार 6 मीटर से अधिक गहराई खोदने पर सुरक्षा नियम लागू होता है। अतः उसके पालन सम्बन्धी शिकायत जाँच की कार्यवाही हेतु संचालनालय, भौमिकी एवं खनिकर्म, छत्तीसगढ़ / डीजीएमएस को लेख किया जाए।
2. बिन्दु क्रमांक 4 के परिपेक्ष्य में ओवर बर्डन डंप की ऊंचाई सतह से तथा स्लोप के संबंध में जाँच की कार्यवाही हेतु संचालनालय, भौमिकी एवं खनिकर्म, छत्तीसगढ़ / डीजीएमएस को लेख किया जाए। साथ ही पट्टेदार द्वारा निर्धारित बाउंड्री 7.5 मीटर में वृक्षारोपण नहीं किये जाने के कारण पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 के तहत् परियोजना प्रस्तावक के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही एवं पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल को लेख किया जाए।
3. बिन्दु क्रमांक 5 के परिपेक्ष्य में पर्यावरणीय स्वीकृति में निहित शर्त अनुसार गारलेण्ड ड्रेन एवं सेटलिंग पॉण्ड का निर्माण नहीं किये एवं बिन्दु क्रमांक 6 के परिपेक्ष्य में उत्खनन क्षेत्र में 7.5 मीटर की सेफ्टी जोन नहीं छोड़े जाने के कारण पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 के तहत् परियोजना प्रस्तावक के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही एवं पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल को लेख किया जाए।
4. बिन्दु क्रमांक 7 के परिपेक्ष्य में आबंटित क्षेत्र में लीज क्षेत्र के बाहर खुदाई के प्रमाण मिले है, जिसके असेसेमेंट के लिए संचालनालय भौमिकी एवं खनिकर्म छत्तीसगढ़/डीजीएमएस को लेख किया जाए।
5. लीज क्षेत्र के चारों ओर नियमानुसार फेंसिंग कार्य नहीं किये जाने के लिए संचालनालय भौमिकी एवं खनिकर्म छत्तीसगढ़/डीजीएमएस को लेख किया जाए। साथ ही लीज क्षेत्र के आसपास निर्धारित सीमा के बाहर उत्खनन किये जाने के कारण पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 के तहत् परियोजना प्रस्तावक

के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही एवं पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल को लेख किया जाए।

तदानुसार एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 08/06/2022 के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 22/08/2022 के माध्यम से तथ्य प्रस्तुत किये है। परियोजना प्रस्तावक के कथनानुसारः–

- उपसमिति द्वारा किये गए निरीक्षण के दौरान पर्यावरणीय स्वीकृति में निहित शर्तों का पालन पूर्ण नहीं करने हेतु टिप्पणी की गई थी परन्तु निरीक्षण के उपरांत दिये गए दिशा–निर्देश अनुसार वर्तमान में वृक्षारोपण, गारलेण्ड ड्रेन का निर्माण तथा सोक पीट आदि का निर्माण कर लिया गया है। अतः उपसमिति पुनः निरीक्षण कर सकती है।

- चूंकि मेरी एक ही खदान है तथा कोविड के कारण उक्त खदान को ठीक से चला भी नहीं पाए है एवं मेरी स्थिति काफी दयनीय है। वर्तमान में अब मुझे ज्ञात हुआ है कि मेरी विरूद्ध वैधानिक एवं पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किया जाना है। इस विषय में मुझे पहले कभी कोई नोटिस भी प्राप्त नहीं हुआ है अतः सुधार का एक मौका दिया जाए। मैं पर्यावरण स्वीकृति के समस्त नियमों का पालन करूंगा।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 15/09/2022 को संपन्न 128वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती/दस्तावेज का अवलोकन किया गया। प्राधिकरण द्वारा नोट किया गयाः–

1. परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 22/08/2022 के माध्यम से प्रस्तुत तथ्य अनुसार, वर्तमान में वृक्षारोपण, गारलेण्ड ड्रेन का निर्माण तथा सोक पीट आदि का निर्माण कर लिया जाना बताया गया है।

प्राधिकरण द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा उल्लेखित तथ्यों के संबंध में स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन प्राप्त होने के उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 14/10/2022 द्वारा पत्र प्रेषित किया गया, जिसके परिपेक्ष्य में जानकारी आज दिनांक तक अप्राप्त है।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 19/12/2022 को संपन्न 135वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती/दस्तावेज का अवलोकन किया गया। प्राधिकरण द्वारा नोट किया गया किः–

1. श्री मनीष राठौर द्वारा आवेदित खदान पर अवैध खनन एवं पर्यावरण स्वीकृति बिना ही अवैध खनन की जाँच तथा पत्थर खदान की क्षमता विस्तारण पर रोक लगाने तथा वैधानिक कार्यवाही किये जाने बाबत् शिकायत दिनांक 24/11/2022 को प्रस्तुत किया गया है, जिसमें उल्लेखित तथ्य निम्नानुसार हैः–

   "कोरबा जिले के ग्राम–घाटाद्वारी में खसरा क्रमांक 425/1 के 2 हेक्टेयर में मातादीन जायसवाल के द्वारा पत्थर खदान संचालित है इनके द्वारा पूर्व में फरवरी 13/02/2022 में अपने खदान के क्षमता विस्तार के पर्यावरणीय स्वीकृति के लिए आवेदन दिया था जिस पर आप के विभाग ने राजकिशोर

चंद्राकर के शिकायत पर दिनांक 24/03/2022 को जांच समिती ने पर्यावरण नियमों के उल्लंघन तथा अवैध खनन जांच में पाया था। वैधानिक कार्यवाही के लिए पत्र लिखा था जिस खदान संचालक ने पुनः आप को यहां माफीनाफा एवं वृक्षारोपण की गलत जानकारी देकर पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने के लिए झूठा पत्र दिया है।

अतः शिकायत के निम्न बिंदुओं की विस्तृत जांच करा खदान मातादीन जायसवाल एवं नेशनल हाइवे 149–बी का चांपा से उरगा निर्माण करने वाली कंपनी जिनको इन्होंने अनुबंध के तहत् उक्त खदान सौंप दिया, पर कड़ी वैधानिक कार्यवाही करने का अनुरोध किया गया है।

- उक्त खदान के उत्पादन क्षमता विस्तारण के लिए माइनिंग प्लान में जो RL-310 मीटर दिया है, उसकी आज वर्तमान समय में क्या स्थिति है?
- उक्त खदान में RL- 310 से कितने मीटर गहरे RL तक उक्त खदान संचालक एवं कंपनी द्वारा बिना पर्यावरणीय स्वीकृति के कितनी मात्रा में अवैध खनन किया है?
- उक्त खदान के पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के विरुद्ध माइंस सुरक्षा नियमों का पालन नहीं किया गया, जिसमें कि प्लान में दिए गए बेंच बनाने का नियम का सीधा उल्लंघन किया गया।
- उक्त खदान से कोरबा वन क्षेत्र के नारंगी वन खण्ड खसरा 425 से कितनी दूरी है या वन विभाग से प्रतिवेदन प्राप्त कर जांच की जाए एवं कितनी रकबा, वन विभाग के नारंगी वन में अवैध खनन किया गया है कि जांच की जाए।

उपरोक्त बिंदुओं की आपकी समिति द्वारा पुनः आवेदित स्थल का निरीक्षण कर उक्त खदान संचालक एवं कंपनी पर पर्यावरणीय स्वीकृति उल्लंघन पर कड़ी कार्यवाही करने का अनुरोध किया गया है।"

प्राधिकरण द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा उल्लेखित तथ्यों यथा वर्तमान में वृक्षारोपण, गारलेण्ड ड्रेन का निर्माण तथा सोक पीट आदि का निर्माण कर लिये जाने के संबंध में एवं शिकायतकर्ता (श्री मनीष राठौर) द्वारा प्रेषित शिकायत के संबंध में छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल को स्थल निरीक्षण किये जाने हेतु निर्देशित किया जाए। साथ ही अद्यतन स्थिति से अवगत कराते हुये कलरयुक्त फोटोग्राफ्स दिनांक सहित बिन्दुवार निरीक्षण प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाए। अतः छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल से निरीक्षण प्रतिवेदन प्राप्त होने के उपरांत प्रस्ताव पर आगामी कार्यवाही की जाएगी।

छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल को स्थल निरीक्षण किये जाने हेतु सूचित किया जाए।

एजेण्डा आयटम क्रमांक–3 अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अन्य विषय।

1. माननीय एन.जी.टी., प्रींसिपल बेंच, नई दिल्ली के ओ.ए. क्रमांक 142/2022, दिनांक 07/12/2022 में दिये आदेश के परिपेक्ष्य में।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त आदेश पर प्राधिकरण की दिनांक 19/12/2022 को संपन्न 135वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा आदेश का अवलोकन करने पर पाया गया कि माननीय एन.जी.टी., प्रींसिपल बेंच, नई दिल्ली के ओ.ए. क्रमांक 142/2022, दिनांक 07/12/2022 में दिये आदेश में उल्लेखित तथ्य निम्न है:–

14. Further, this Tribunal has observed that mining leases in which environmental clearance was granted by DEIAA in view of amendment notification dated 15.01.2016 are still continuing even after passing of order dated 13.09.2018 by this Tribunal in Satendra Pandey (supra) and issuance of OM dated 12.12.2018 by MoEF&CC without any re-appraisal by SEIAA and appropriate remedial action on the basis of such re-appraisal. All such mining leases in which environmental clearance was granted by DEIAA need to be brought in consonance with the directions given by Hon'ble Supreme Court in Deepak Kumar (supra) and order dated 13.09.2018 by this Tribunal in Satendra Pandey (supra) by re-appraisal by SEIAA and only such mining leases may be continued which have been on re-appraisal granted environmental clearance by SEIAA. MoEF&CC is, therefore, directed to take appropriate steps for compliance in this regard by issuance of requisite directions in exercise of the statutory powers under the Environment (Protection) Act, 1986. For this purpose, MoEF&CC is directed to collect information regarding such mining leases in which environmental clearance was granted by DEIAA and the period of which has not yet expired and are still continuing in all the States and Union Territories and by issuing appropriate directions for compliance with directions given by Hon'ble Supreme Court in Deepak Kumar (supra) and order dated 13.09.2018 passed by this Tribunal in Satendra Pandey (supra) by re-appraisal for grant of EC by SEIAA.

15. Action taken report in this regard be filed by MoEF&CC before this Tribunal within two months by email at judicial-ngt@gov.in preferably in the form of searchable PDF/OCR supported PDF and not in the form of Image PDF.

माननीय एन.जी.टी., प्रींसिपल बेंच, नई दिल्ली के ओ.ए. क्रमांक 142/2022, दिनांक 07/12/2022 में दिये आदेश के अनुक्रम में **प्राधिकरण द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से** जिला स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, छत्तीसगढ़ (डी.ई.आई.ए.ए., छ.ग.) से जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के अनुसार प्रदेश में संचालित सभी गौण खनिज खदानों की जानकारी संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, नवा रायपुर अटल नगर से प्राप्त किये जाने का निर्णय लिया गया।

संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, नवा रायपुर अटल नगर को तदानुसार पत्र लेख किया जाए।

2. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी ऑफिस मेमोरेण्डम दिनांक 13/12/2022 –"**Clarification on the amendment to EIA Notification 2006 issued vide S.O. No. 1807(E) dated 12/04/2022 with regard to validity of Enviroment Clearance regarding.**" के संबंध में।

प्राधिकरण द्वारा 135वीं बैठक दिनांक 19/12/2022 में उक्त ऑफिस मेमोरेण्डम का अवलोकन किया गया।

बैठक धन्यवाद ज्ञापन के साथ संपन्न हुई।

(आर.पी. तिवारी)
सदस्य सचिव,
राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन
प्राधिकरण, छत्तीसगढ़

(देबाशीष दास)
अध्यक्ष,
राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन
प्राधिकरण, छत्तीसगढ़

(डॉ. दीपक सिन्हा)
सदस्य
राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण, छत्तीसगढ़